खण्ड-375, अंक-1
गुरूवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(20 फरवरी, 1986 ई0)

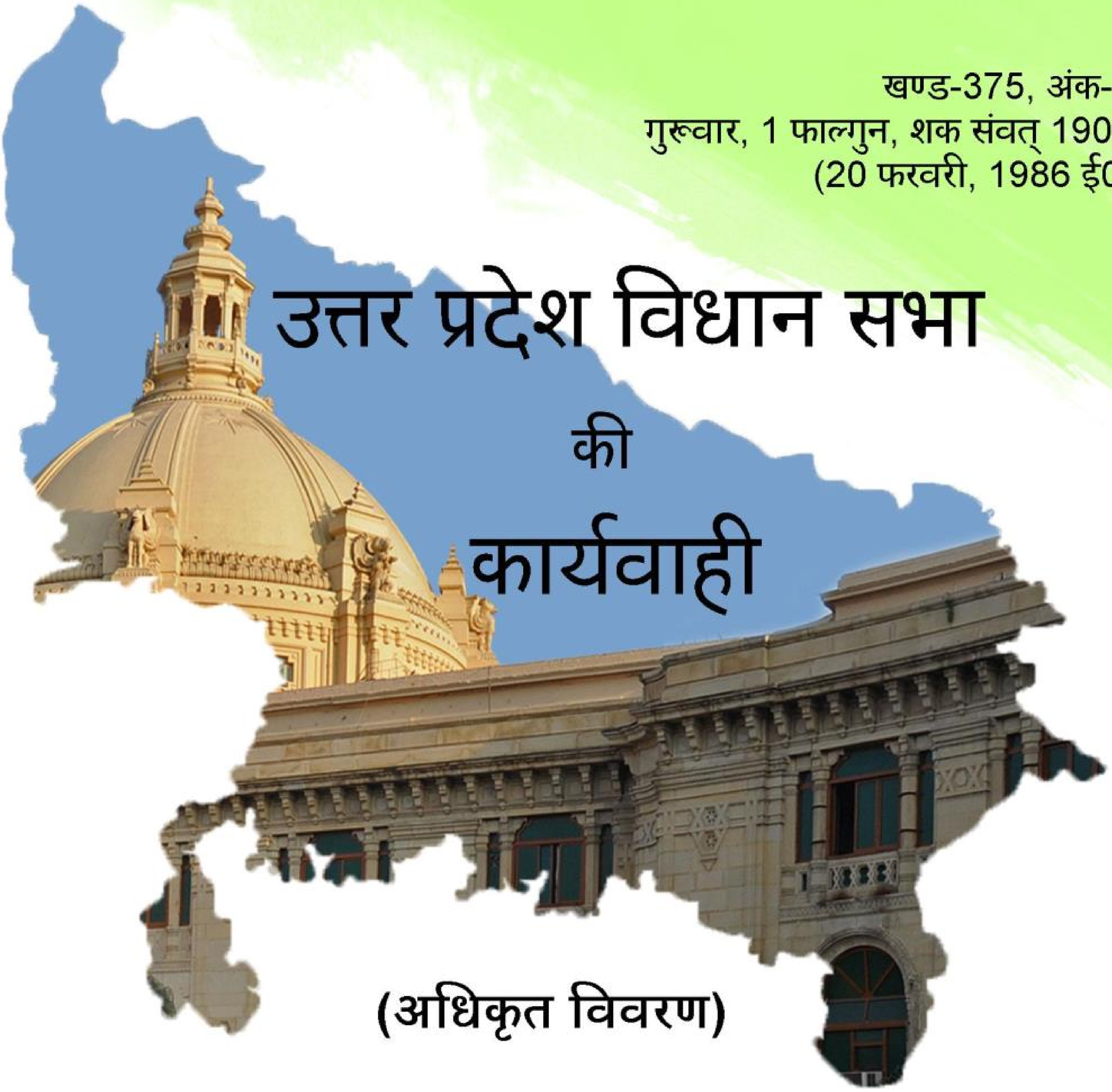

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–3
प्रश्नोत्तर	3–43
स्वास्थ्य मन्त्री के प्रार्थना-पत्र पर आज के स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों को स्थगित किये जाने की सूचना	43
वाराणसी में पुलिस द्वारा सदस्य विधान सभा डा० रजनी कान्त दत्त की पिटाई सम्बन्धी विवरण को सदन में प्रस्तुत करने की मांग	3–51
नत्थियां	52–53

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9103

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 20 फरवरी

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
अशोक सेहरा, श्री	आगरा
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
काजी मोहीउद्दीन, श्री	सहारनपुर
कोकब हमीद, श्री	मेरठ
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर
जफर-अली नकवी, श्री	लखनऊ
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
धनराज यादव, श्री	बस्ती
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलन्दशहर
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बृजेन्द पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोती राम, श्री	नैनीताल
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
रामनरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा	हरिशचन्द्र, हरीश जी, श्री	बस्ती
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर

नोटः— श्री सिब्ते रजी शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार 20 फरवारी, 1986

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गुड़ तथा खांडसारी के प्रदेश से बाहर निर्यात खोलने के आदेश

**1—डा0 दिनेश जौहरी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री कनक सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा गुड़ व खांडसारी के निर्यात पर रोक लगा देने के कारण क्रेशरों एवं खांडसारी यूनिटों पर काम कर रहे असंख्य मजदूर एवं पल्लेदार बेकार हो गये हैं एवं भुखमरी के कगार पर खड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गुड़ एवं खांडसारी पर पुनः निर्यात खोलने के शीघ्र आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)—

दिनांक 4-1-86 से गुड़ तथा खांडसारी के प्रदेश से बाहर निर्यात करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध शासन द्वारा दिनांक 26-1-86 से वापस ले लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने स्वीकार किया है कि 4-1-86 को गुड़ और खांडसारी प्रदेश के बाहर जाने पर नियंत्रण लगा दिया गया और 22 दिन बाद उसे वापस ले लिया गया। क्या मा0 मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियंत्रण लगाने के क्या कारण थे और 22 दिन बाद नियंत्रण वापस लेने के क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जिस वक्त नियन्त्रण लगाया गया चीनी मिलों पर गन्ने की आपूर्ति कम हो रही थी। यह सुनिश्चित करने के लिये कि आपूर्ति बनी रहे, कम न हो, चीनी का उत्पादन कम न हो, नियंत्रण लगाया गया था, बाद में जो प्रतिक्रिया हुई किसानों पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका आयी, तो पुनः विचार किया गया और नियंत्रण वापस ले लिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या यह सही है कि गुड़ के आढ़तियों खरीदारों के कहने पर ही यह प्रतिबन्ध लगाया गया था और जब सारे किसानों का गुड़ सस्ते दर पर आढ़तियों ने खरीद लिया तो प्रतिबन्ध हटा दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या मा0 मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब गुड़ और खाण्डसारी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, उस पर प्रतिबन्ध लगाते समय क्या विभाग ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी दी थी या अनुकूल टिप्पणी दी थी ? मैं जानना चाहता हूं कि विभाग की टिप्पणी क्या थी ?

श्री हुकुम सिंह—

विभाग के द्वारा ही आदेश जारी किया गया था नियंत्रण लगाने का। विभाग और सरकार अलग-अलग चीजें नहीं हैं, राय अलग-अलग हो सकती है, सारी बातों पर विचार करने के बाद जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार नियंत्रण लगाया गया था।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि किसानों का अहित हो रहा था, इसलिये उस नियंत्रण को हटा लिया गया, यह स्पष्ट बात है कि जब भी गुड़ और खाण्डसारी पर

प्रतिबन्ध लगाया जायगा, किसानों का अहित होगा क्योंकि जो लोग गन्ने की पैदावार करते हैं, गुड़ और खाण्डसारी के बाहर जाने से उनका खर्चा निकल आता है। जैसा माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि किसानों के हितों को सुरक्षा देने के लिये नियंत्रण वापस लिया गया, तो क्या भविष्य में ऐसी नीति बनायेंगे कि कभी भी नियंत्रण न लगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, किन्तु यह अवश्य है कि किसानों के हित को सरकार सर्वोपरि समझेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि किसानों के हितों को नुकसान होने की आशंका को देखकर आदेश वापस ले लिया, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मिलों को अधिक गन्ना दिलाने के लिए यह किया गया, क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ने का भाव बढ़ाकर अधिक गन्ना लेने का प्रयास किया ? क्या कारण है कि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी लेकिन प्रतिबंध लगाया, जिससे गन्ने का भाव कम बना रहे, ऐसा करने का क्यों निर्णय किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, भाव बढ़ाने पर चीनी मिलों पर सरकार के द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और न लगाया गया था।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जिस तरह से चीनी मिलों को सरकार संरक्षण देती है, उसी तरह से खाण्डसारी मिलों को भी संरक्षण देने का सरकार का पूरा उत्तरदायित्व है। क्या कारण है कि खाण्डसारी यूनिट के निर्यात पर रोक लगा दी गयी, ऐसी क्या दिक्कत हो गयी थी कि जिसके कारण सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगाया जबकि फूड सेक्रेटरी की संस्तुति इस तरह के नियंत्रण को लगाये जाने के खिलाफ थी, क्या यह बात सही है ?

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक खाण्डसारी यूनिट का प्रश्न है यह हमारे प्रदेश का मुख्य और महत्वपूर्ण उद्योग है, प्रदेश की सम्पन्नता से इसका सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसके बन्द हो जाने से किसानों और मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा यह देखते हुए इसे वापस ले लिया गया। जहां तक चीनी मिलों को संरक्षण देने की बात है, तो ऐसी बात नहीं है। हमें सेन्ट्रल पूल को भी चीनी देनी होती है, यदि हम उसका दायित्व नहीं निभा पाते हैं तो सीधा उसका प्रभाव प्रदेश की आमदनी पर पड़ता है। इसलिये सामंजस्य स्थापित करके सरकार को नीति निर्धारित करनी पड़ती है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यवाही की गयी थी।

श्री राम सरन—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह गुड़ व खाण्डसारी पर रोक किस तारीख को लगायी गयी थी और इस आदेश को वापस किस तारीख को लिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

मैं प्रश्न के उत्तर को पुनः पढ़े देता हूं कि दिनांक 4-1-86 को गुड़ और खांडसारी को प्रदेश के बाहर निर्यात करने पर लगाया गया प्रतिबन्ध शासन द्वारा दिनांक 26-1-86 को वापस लिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खाद्य सचिव ने आपके आदेश के ऊपर यह टिप्पणी दी थी कि इस पर यह प्रतिबन्ध न लगाया जाये ? यदि यह बात नहीं है तो फिर आप बतायें कि उन्होंने फिर आपको क्या प्रविष्टि या संस्तुति भेजी थी ? गुड़ और खांडसारी पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपको कौन सा औचित्य महसूस हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इसमें वर्मा जी ने दो प्रश्न एक साथ किये हैं। एक तो हमारे आदेश पर कोई टिप्पणी खाद्य सचिव ने दी या नहीं दी। तो सरकार के आदेश पर खाद्य सचिव को कोई टिप्पणी देने की बात नहीं होती है,

आदेश जो हो जाते हैं, वह हो जाते हैं, औचित्य की जहां तक बात है, वह यह थी कि सुनिश्चित करते रहे कि हमें आपूर्ति चीनी मिलों को देखते हुए नहीं आयी। जब यह बात सामने आयी तो पुनः विचार किया गया और इस आदेश को वापस ले लिया गया।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि खांडसारी वाले जब गुड़ बनाते हैं तो सरकार न तो गुड़ को खरीदती है और न खांडसारी को ही। बड़े उद्योगों को प्रश्रय देने के लिए सरकार ने यह यह नीति अपनायी है कि इस पर रोक लगा दें क्योंकि छोटे उद्योगों के बूते पर ही बड़े उद्योगों को पनपाना है ?

श्री हुकुम सिंह—

छोटे उद्योगों के लिये सरकार की नीति प्रोत्साहन देने की है। जहां तक गुड़ की खरीदारी की बात है, उसके भाव बाजार में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसमें कोई संकट की तो बात है ही नहीं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि शासन के आदेश के बाद जैसा कि आपने अभी कहा है कि कोई अधिकारी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है, यह बात अभी मंत्री जी ने मा0 रघुवर दयाल वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर देते समय कहीं है। लेकिन आदेश होने के पहले जो पत्रावली चलती है, उस पर शासन के अधिकारी टिप्पणी करते हैं, तो क्या खाद्य सचिव ने भी टिप्पणी की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार इस परिपेक्ष्य में मिल मालिकों को सुविधा प्रदान करने पर तुली हुई है और किसानों को सुविधा नहीं दे रही है ?

श्री हुकुम सिंह—

जब नीति निर्धारित की जाती है तो हर स्तर पर टिप्पणी होती है। खाद्य सचिव की भी वही होगी। मान्यवर . . . .

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

पढ़कर सुना दें। खाद्य सचिव की टिप्पणी, पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

आप उत्तर तो सुनिये।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इसमें सरकार ने एक निर्णय लिया और उसके ऊपर विचार हुआ। कहां पर क्या कहा गया, यह कोई कार्यवाही का तो अंग है नहीं। विभिन्न स्तर के अधिकारी, सेक्शन आफीसर से शुरू होते हैं, तो उनकी क्या रेलेवेन्सी है अलग-अलग राय के भी हो सकते हैं, तो उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सेक्शन आफीसर से लेकर ऊपर तक टिप्पणी चलती है। हम सेक्शन आफीसर की टिप्पणी को नहीं पूंछ रहे हैं, खाद्य सचिव की पूंछ रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी के पास हो तो बता दें और अगर न हो तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब टिप्पणी आ जाये तो बता दें।

श्री हुकुम सिंह—

कहीं पर किसी अधिकारी ने असहमति नहीं प्रकट की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ मंत्री यहां पर आये थे और रात में मुख्य मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई और पत्रकार सम्मेलन में शासन के निर्णय को घोषित कर दिया कि खान्डसारी और गुड़ पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके पहले न सचिव से कोई परामर्श की गयी और न विभागाध्यक्ष को ही बताया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित पत्रावली आपके पास अवलोकनार्थ भेजने की कृपा करेंगे, जिससे सारी स्थिति आपके सामने आ जाये। दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूं कि अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में एक मीटिंग हुई थी तो उसमें कौन सी सुविधायें देने की घोषणा हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, जो स्थिति पत्रावली पर है, उसको मैं गुप्ता जी को बताना चाहता हूं कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसमें दो बातें आयी हैं, जैसा शतरुद्र जी ने कहा . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि मंत्री जी पत्रावली को आपकी सेवा में भेजने की कृपा करेंगे ? केन्द्रीय सरकार के मंत्री के दबाव में आकर रातो-रात यह घोषणा कर दी गयी। विभागाध्यक्ष से भी नहीं पूछा गया। इस तथ्य की जानकारी सदन को हो जाये, इसलिये क्या पत्रावली आप अध्यक्ष जी के पास भेजने के लिए तैयार हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय मंत्री के दबाव में आकर यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने अपने विवेक से और सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह किया है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो उन्होंने यह कहा कि अधिक से अधिक गन्ने की पूर्ति चीनी-मिलों को हो और दूसरा उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमत को कम रखने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह जानकारी दिलाना चाहता हूं कि उनके विभागीय अधिकारियों के यह आदेश हैं कि गन्ने की कीमत कम से कम हो और 24 रुपये से आगे न बढ़ने दी जाय। 24 तारीख को माननीय मंत्री जी ने यह प्रतिबन्ध उठाया, उसके बाद भी यह आदेश जारी किया गया है कि गन्ने की कीमत 24 रुपये से ज्यादा न दी जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीनी मिलों का कोई ऐसा षड़यन्त्र था, कोई दबाव शासन के ऊपर था कि चीनी मिलों को गन्ना उपलब्ध कराने के लिए, बल्कि कम कीमत पर गन्ना उपलब्ध कराने के लिए, यह नीति निर्धारित करायी गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, बरार जी ने दो भागों में अपना सवाल किया। एक तो इन्होंने कहा कि क्या कोई षड़यन्त्र ऐसा था, कोई दबाव सरकार के ऊपर था, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि कोई दबाव नहीं था न कोई षड़यन्त्र का शिकार सरकार हुई है। जहां तक प्रश्न का पहला भाग है कि क्या कोई निर्देश या आदेश शासन की ओर से इस आशय का जारी किया गया था कि गन्ना कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाय इसमें मान्यवर, मैं बिलकुल मजबूती के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई आदेश इस आशय का नहीं जारी किया गया है, अगर कोई मिल मालिक ज्यादा कीमत पर गन्ना लेना चाहे तो वह ले सकता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गुड़ और खाण्डसारी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से पहले खाद्य सचिव की कोई राय ली गयी, अगर राय ली गयी तो वह राय क्या है ? क्या बगैर खाद्य सचिव की राय लिये हुए यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो थोड़े बहुत दिन शासन में बैठकर प्रक्रिया की मुझे जानकारी मिली है, उसमें राय नहीं ली जाती है, सामूहिक तौर से निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सामूहिक तौर से लिया गया है।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, कनक सिंह का नाम था और उनको आपने बुलाया नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री कनक सिंह—

[xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेन्स जारी करने पर रोक

**2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में बंदूकों आदि के नये लाइसेन्स जारी करने में किन कारणों से और कब तक के लिये रोक लगा दी गई है ? क्या सरकार उन मामलों में जिनमें लाइसेंस धारकों की मृत्यु हो गई है और उनके असलहे थानों या अधिकृत दुकानदारों के यहां उत्तराधिकारियों द्वारा जमा कर दिये गये हैं तथा लाइसेंसों के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये हैं, इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन मामलों में नये लाइसेन्स जारी करने का आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अग्रेतर आदेशों तक प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी गयी है।

मृतक लाइसेंस-धारियों के उत्तराधिकारियों को नियमानुसार लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु उक्त रोक से छूट देने का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि यह रोक कब से लगायी गयी और कब तक रहेगी और जिन लोगों की लाइसेंस-धारकों की मृत्यु हो गयी है और मृत्यु हुए 2-3 साल हो गये हैं, उनकी बन्दूकें दुकानों में जमा हैं और 10 रुपये महीने उनका किराया जा रहा है, बन्दूक का दाम किराये में जा रहा है। उनके जो वारिस हैं उन्होंने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं तथा उनका वेरीफिकेशन हो गया है, थाने वालों की रिपोर्ट माफिक है, तहसील की रिपोर्ट माफिक है तो उन लोगों को लाइसेंस देने में शासन को क्या परेशानी है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह रोक 16-12-85 से लगाई गई थी और उस पर तीन महीने के अन्दर पुनर्विचार होगा। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है शासन ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि जिस लाइसेन्सधारक की मृत्यु हो गई हो उसके सम्बन्धियों को लाइसेन्स जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको निभाते हुये इस रोक को न समझा जाय और उनको लाइसेन्स जारी किया जा सकता है ऐसे आदेश कल ही दे दिये गये हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस पर विचार किया कि जो लोग मर चुके हैं उनके सम्बन्धियों को लाइसेन्स दे दिया जाय। तो क्या आप यह भी विचार करेंगे कि जो विधायक जन प्रतिनिधि या ब्लाक प्रमुख जिनके पास इस तरह का कोई शस्त्र नहीं है, जिनका चरित्र अच्छा है और गांवों में डकैती आदि जो पड़ती है उसको देखते हुये क्या आप उनके लिये भी लाइसेन्स देने की व्यवस्था करेंगे ? मान्यवर, जब कि इंडियन आर्म्स एक्ट में प्राविधान है कि जिसका चरित्र अच्छा हो उसको लाइसेन्स दिया जा सकता है। मान्यवर, दूसरा सवाल यह है कि बगैर आर्म्स एक्ट में संशोधन किये ही किसी व्यक्ति को लाइसेन्स देना कहां तक उचित है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि 16-12-85 को

नोटः—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आदेश जारी किये जा चुके हैं। दूसरा प्रश्न जो [illegible] सदस्य ने उठाया है कि जन प्रतिनिधियों को भी लाइसेन्स दिया जाय। मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इस पर 3 महीने में पुनर्विचार होगा और उसमें ये सारी परिस्थितियां आधार बन कर रहेंगी।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, भारत के संविधान के 21वें अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण रक्षा एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार है। फायर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो लाइसेन्स धारी है, वह उसको रखकर चल सकता है। आपने इसके तहत एक गिरोह बन्दी अध्यादेश भी बनाया है। जितनी हत्यायें होती हैं वह इन्हीं सब अस्लाहों से होती हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी खुले आम चलने के लिये लाइसेन्सधारियों को अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, लाइसेन्स लेना या हथियार रखना मौलिक अधिकार नहीं है। इससे सम्मानित सदस्य सहमत होंगे। जहां तक बन्दूक लेकर चलने की बात है धारा 144 जाब्ता फौजदारी में प्राविधान है कि अगर यह समझा जाय कि कहीं पर बन्दूक ले जाने से अव्यवस्था पैदा हो सकती है तो यह सरकार को और शासन को अधिकार प्राप्त है कि वह हथियार ले जाने से वहां पर रोक लगा सकती है।

श्री राम जनम—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी बन्दूकों के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिनसे चिड़िया मारी जाती है या ऐसे जंगली जानवर जिनसे फसल का नुकसान होता है। इससे उनको हटाया जाता और भगाया जाता है....

श्री अध्यक्ष—

अब तो चिड़िया भी नहीं मार सकते।

श्री राम जनम—

उस पर रोक लगा दी गई है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप तोप रखें, तभी हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि आर्म्स एक्ट के तहत नये लाइसेन्स देने में 16-12-85 से रोक लगाई गयी है। तो क्या मेरी जानकारी को सही मानकर इससे पहले तीन महीने से बराबर रोक लगी रही। तो क्या वह रोक जो जिलाधीशों ने अपने-अपने जनपदों में लगाई थी, क्या वह गलत थी ? दूसरा क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जो लोग बिना लाइसेन्स के 25-25 और 30-30 बन्दूकें लेकर झुंड के झुंड बना कर चलते हैं क्या उनकी बंदूकों को छिनवाने का काम करेंगे जिनके पास लाइसेन्स नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बिना लाइसेंस के बंदूक कौन लेकर चल सकता है ?

श्री मनोहर लाल—

उन्नाव में चलते हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह रोक शासन द्वारा 16-12-85 से लगाई गयी, उससे पहले शासन द्वारा रोक नहीं लगाई गयी थी। यह सही है कि कुछ लोग बिना लाइसेंस के झुंड के झुंड में चलते हैं। कहीं-कहीं पर ठेकेदारों के जो टेंडर खुलते हैं, वहां पर जाते हैं जिसकी मनोहर लाल जी आपको जानकारी है। तो ऐसे तत्वों से निपटने के लिए गिरोह बन्द अध्यादेश लाया गया है जिसका आप स्वागत करने वाले हैं ताकि उनसे निपटा जा सके।

श्री श्रीप्रकाश—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रतिबन्ध विधायकों पर भी है क्योंकि हमारे आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने मुझे बताया कि जन प्रतिनिधियों पर भी यह प्रतिबन्ध लागू है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, प्रतिबन्ध तो सभी के लिए हैं।

(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में क्या यह सत्य है कि बीच-बीच में प्रतिबन्ध हटाया गया है : यदि हां, तो जुलाई, 85 से बीच में कब हटाया गया और पुनः कब लागू किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

16-12-85 से प्रतिबन्ध लगाया गया। मैंने पहले ही कहा कि इस पर 3 महीने बाद पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री लाल चन्द निषाद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में बिहार से लाइसेंस लेकर बहुत से गुंडे और असामाजिक तत्व अस्त्र इकट्ठा कर लिये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिहार से या उत्तर प्रदेश के बाहर से लाये गये अस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह शिकायत जो माननीय सदस्य ने दी है काफी जगहों से प्राप्त होती रही है। हमारे यहां प्रतिबन्ध लागू है तो दूसरे राज्यों से लाइसेंस बनवा लेते हैं। हमने निर्देश दिया है कि इस प्रकार के तमाम व्यक्ति जो बाहर से लाइसेंस बनवाकर लाते हैं उनका पुनरीक्षण कराया जाय और आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने पूरे 20 मिनट इस पर दे दिये हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

★1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

★2—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

★1—श्री विष्णु देव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

[शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

★1—श्री शारदा प्रताप—

[दिनांक-13-2-86 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा उद्योग शून्य जिलों हेतु योजनायें

★2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा उद्योग शून्य जिले कौन-कौन हैं तथा उनके व्यापक विकास हेतु सरकार के पास क्या योजना विचाराधीन है ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, कानपुर, (देहात), चमोली, पौड़ी गढ़वाल, जौनपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बलिया, बस्ती, फैजाबाद, झांसी, ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हरदोई, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत प्रतापगढ़,

रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, रायबरेली व उन्नाव हैं।

उद्योग शून्य जिले बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर जालौन, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर, (देहात) चमोली, पौड़ीगढ़वाल, टेहरीगढ़वाल तथा उत्तर काशी हैं।

उद्योग शून्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक जिले के लिए 6-6 करोड़ रुपये अनुमानित लागत के अवस्थापना प्रोजेक्ट्स तैयार किये गये हैं। जिनमें से 6 जनपदों के प्रोजेक्ट्स आई0 डी0 बी0 आई0 द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सभी पिछड़े व उद्योग शून्य जनपदों के औद्योगिक विकास हेतु शासन द्वारा उन जनपदों में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की विशेष सुविधायें व सहायता उपलब्ध करायी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। श्री गुप्त जी प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उद्योग शून्य जिलों की सूची दी है अर्थात् उद्योग शून्य जिले घोषित करने का क्या आधार है?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर उद्योग शून्य जिले घोषित करने का अधिकार भारत सरकार को है, तो किस आधार पर उद्योग शून्य जिला घोषित वह करते हैं इसकी जानकारी यहां नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने पूछा था कि यह जो उद्योग शून्य जिले हैं उनको इस श्रेणी में लाने का क्या आधार है? मंत्री जी शायद आधार को अधिकार समझ लिया और उत्तर दिया कि भारत सरकार को अधिकार नाम तय करने का है। लेकिन भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग से जानकारी मांगी होगी कि किन जिलों में उद्योग लगाये जांय और उनकी आबादी, वहां के उद्योग और पर-कैपिटा इन्कम वहां की क्या है तो यह जानकारी भेजी गयी होगी। इसलिये उद्योग शून्य जिलों की श्रेणी में जो जिले लाये गये हैं उनका आधार क्या है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल उत्तर के अंत में लिखा है कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं, तो क्या सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा सुझाव दें कि माननीय मंत्री जी अन्धकार से प्रकाश में आ जायें।

मैं समझता हूं कि गुप्ता जी, मंत्री जी इस कोशिश में हैं कि बजाय जिला शून्य उद्योग हो बल्कि ब्लाक स्तर पर उद्योग लग जायं तो अच्छा होगा।

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मैंने पहले ही अर्ज किया कि जिलों को पिछड़ा हुआ घोषित करना या जिलों को शून्य जिला घोषित करना, यह केन्द्र करता है और यहां उसके लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या क्रायटेरिया इसके लिए उनके पास है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का भी आप जवाब दिला दें, वह नहीं आया है। सुविधायें देना तो राज्य सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष—

कुछ सुविधायें तो केन्द्र देता है।

श्री रामगोविन्द चौधरी—

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा आधार है जिसके तहत बलिया जनपद भी पिछड़े में 'बी' ग्रेड में रखा गया है और सुल्तानपुर और रायबरेली को भी 'बी' ग्रेड में रखा गया है। इस तरह यह तीनों जिले एक ही ग्रेड में रखे गये हैं, अब आप बतायें कि इन जिलों में अलग-अलग कौन-कौन से उद्योग हैं?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

उसकी एक बड़ी लिस्ट है, एच0 एम0 टी0 है, भारत इलेक्ट्रानिक्स है (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं यह जानना चाहता था कि बलिया जनपद 'बी' ग्रेड में है। साथ ही रायबरेली और सुल्तानपुर सरीखे जिले भी 'बी' ग्रेड में हैं। बलिया इसलिये 'बी' ग्रेड में है कि सुल्तानपुर और रायबरेली किस कारण से 'बी' ग्रेड में आया है ? रायबरेली व सुल्तानपुर में कितने उद्योग लगे हैं और बलिया में कितने उद्योग लगे हैं, इसका जवाब मंत्री दे दें ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास यह सूचना है ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

जी नहीं, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री अभिताभ अनिल दुबे—

मंत्री जी ने बताया कि उद्योग शून्य जिला भारत सरकार तय करती है और इसी संदर्भ में उन्होंने गाजीपुर जिले का भी जिक्र किया है और उस उद्योग शून्य जिले के लिए एक स्टील प्लान्ट का कारखाना प्रस्तावित है, क्या यह सही है कि उ0 प्र0 सरकार की लापरवाही की वजह से वह कारखाना खटाई में पड़ा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह उससे ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शून्य जिले और पिछड़े जिलों का मापदंड क्या है इसकी सूचना उद्योग मंत्री जी के पास नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि यह सूचना भारत सरकार से मंगाकर अवगत कराने की कृपा करें ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी सुविधायें उद्योग शून्य जिलों को और पिछड़े जिलों को दी गयी हैं उनकी लिस्ट भी उद्योग मंत्री जी के पास नहीं है तो क्या इसको भी भारत सरकार से मंगाकर अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। प्रयास करूंगा, [illegible] का।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय मंत्री जी, मैं आपका जवाब सुन नहीं पाया।

श्री निसार अहमद अन्सारी—

मान्यवर, इसके लिये जानकारी करके मैं सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए एक भी उत्तर नहीं आया है। (शोर)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, इसको स्थगित करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं, आइन्दा के लिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इनके जिले के तिवारी जी पूछ रहे हैं कि क्या मंत्री जी को भी स्थगित कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि मंत्री जी कोशिश में हैं कि जितने ब्लाक हैं और जिनमें उद्योग नहीं हैं, उसमें भी उद्योग लग जायं।

*3—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

*4—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दिनांक 7-2-86 को अ0 सू0 तारा0 प्र0 द्वारा उत्तरित]

मथुरा जनपद में आलू का उत्पादन क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था

*5—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी में है कि मथुरा जनपद में इस वर्ष आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ और खरीद केन्द्र न होने के कारण आलू को खेत में ही नष्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों को आलू का उचित मूल्य दिलाने हेतु मथुरा जनपद में आलू क्रय केन्द्र अथवा आलू को सुरक्षित रखने के लिए अन्य किसी योजना

पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ?

कृषि मन्त्री—(चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

इस वर्ष मथुरा जनपद में 68,500 टन आलू उत्पादन होने का अनुमान है। अभी खुदाई शुरु ही हुई है, अतः खरीद व्यवस्था के अभाव में आलू को खेत में ही नष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद में 15,806 टन भण्डारण क्षमता के शीतगृह 1984-85 तक बन चुके थे। 1985-86 में 5887 टन भण्डारण क्षमता के नये शीतगृह बनकर तैयार हुए। उत्पादकों को ठीक मूल्य दिलाने के लिये चार क्रय केन्द्र भी खोले गये हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन 4 केन्द्रों के नाम क्या हैं ? यह 4 केन्द्र कम हैं तो क्या इनको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह 4 केन्द्र हैं, कोसी, मथुरा, सादाबाद और फरह। अगर आवश्यकता होगी और सम्मानित सदस्य कहेंगे तो वहां पर और क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जायगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश में आलू खरीदने के लिये 133 क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी है। पिछले वर्ष सिर्फ 67 केन्द्र खोले गये थे।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, प्रदेश में आलू खरीदने के लिये कितने केन्द्र खोले गये हैं। क्या फर्रुखाबाद और हरदोई में भी क्रय केन्द्र खुलवाये जाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने बताया कि प्रदेश में 133 क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी है। जहां जहां आलू पैदा होता है वहां पर आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी है। यदि कहीं पर आवश्यकता है और क्रय केन्द्र नहीं खुले हैं (व्यवधान) हरदोई में क्रय केन्द्र खोले गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आपके उत्तर को मैंने ठीक से सुना नहीं। फिर से अपने उत्तर को कृपया दोहरा दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शायद यह कहा है कि जहां पर केन्द्र की आवश्यकता होगी, वहां पर भी खुलवा दिया जायेगा,

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां, मान्यवर, मैंने यही कहा था कि जहां पर भी माननीय सदस्य या किसानों की मांग पर इस केन्द्र के खुलवाने की आवश्यकता होगी, अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि पिछली बार आलू की खरीद के लिये दो एजेन्सीज की व्यवस्था की गयी थी, पी0-सी0 एफ0 और नेफेट की तो इन दोनों में काफी झगड़ा था तो इस बार की खरीद में क्या माननीय मंत्री कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे आलू की खरीद में कि कोई झगड़ा आदि उत्पन्न न हो।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आलू की खरीद में झगड़े का क्या प्रश्न है वैसे पिछली बार दो एजेंसियां थीं नेफेट और पी0 सी0 एफ0 और इस बार इनके अलावा और दो एजेंसियों को खरीद के लिये अरेंज किया गया है, एक एग्रो और दूसरी हार्टिको की। यह दोनों एजेन्सियां भी आलू की खरीद करेंगी।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, पिछली बार काश्तकारों के आलू की खरीद सही प्रकार से नहीं हो सकी थी क्या इस बार कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे जिससे सही प्रकार से आलू की खरीद हो सके।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जरा अपना प्रश्न दोहरा दीजिये, मैंने सुना नहीं।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

पिछले वर्ष आलू के खरीद में जो अनियमितताएं बरती गयीं थीं कि सही प्रकार से किसानों का आलू खरीदा नहीं गया था तो क्या इस बार अनियमितताओं को समाप्त करके सही प्रकार से आलू की खरीद की व्यवस्था की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आलू के खरीद में कोई अनियमितताओं का प्रश्न नहीं उठता । इतना जरूर हुआ था कि जितना आलू खरीदा जाना चाहिए था उतना नहीं खरीदा जा सका । परन्तु इस साल मैंने आलू के खरीद की व्यवस्था कर दी है और ट्रांसपोर्ट की भी पूरी व्यवस्था की है और अभी तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आ रही है कि आलू की कीमत मिल रही है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आलू के खरीद की व्यवस्था की गयी है, परन्तु क्या उसमें गोंडा जनपद भी शामिल है, यदि हां, तो कितना कोटा शामिल किया गया है, और यदि नहीं शामिल किया गया है तो क्या उसे भी शामिल करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, गोण्डा जनपद में फिलहाल यह योजना लागू नहीं होती है और अगर वहां पर भी खरीद की व्यवस्था आवश्यक समझी जायेगी तो की जायेगी ।

रबी खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य तथा कृषकों को लाभ व जोखिम का प्राविधान

*6—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 85-86 की रबी खाद्यान्नों की न्यूनतम मूल्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से कोई सिफारिश की है ? क्या मंत्री जी बताने की क्या करेंगे कि इन सिफारिशों को तय करते समय शासन ने प्रत्येक खाद्यान्न पर प्रति क्विन्टल क्या लाभांश को मद्दे नजर रखा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा की गयी सिफारिशों में उत्पादन लागत तथा कृषकों को लाभ व जोखिम का प्राविधान रहता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, सर्व प्रथम आपका संरक्षण इसलिए चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है । मैंने प्रश्न किया है कि शासन ने प्रत्येक खाद्यान्न पर प्रति क्विंटल क्या क्या लाभांश को मद्देनजर रखा है, अगर इसका उत्तर मान्यवर, आ जाय तो मैं अपना अनुपूरक प्रश्न करूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, कृषकों को लाभ व जोखिम का प्राविधान, परिवहन, विपणन व्यवस्था आदि रखी जाती है । अगर अलग-2 प्रत्येक खाद्यान्न का चाहें तो वह भी मैं बता दूं । गेहूं पर 05/ रु0 प्रति क्वीटंल ढुलाई/परिवहन व्यवस्था साढ़े 12 परसेन्ट जोखिम लाभांश का प्रबन्ध किया गया है, जौ पर 6 प्रतिशत का, चने और अन्य सभी चीजों को मिलाकर 25 प्रतिशत का प्राविधान किया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जोखिम और अन्य चीजों को मिला कर साढ़े 12 प्रतिशत रखा गया है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लाभांश मद्देनजर रखकर केन्द्रीय सरकार को संस्तुति की थी, उसके अनुसार क्या उन्होंने समर्थन मूल्य की घोषणा की है और यदि उसके विपरीत समर्थन मूल्य से कम है, तो वह लाभांश दिलाने के लिए आप क्या करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा तय होते हैं । हमने अपनी सिफारिश भेजी और केन्द्रीय सरकार ने एक फैसला लिया और 162 रु0 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

जो लाभांश मद्देनजर रखकर केन्द्रीय सरकार की संस्तुति की थी और केन्द्रीय सरकार ने जो समर्थन मूल्य की घोषणा की, वह कितना कम था, अर्थात् दोनों में कितना अन्तर प्रत्येक खाद्यान्न पर रहा और दूसरा यह है कि जो अन्तर रहा, वह अन्तर राज्य सरकार कृषकों के हित में उनको देने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने सब मिला कर, सभी को विचार कर 162 रु0 समर्थन मूल्य की घोषणा की । इसमें सभी उपज लागत लाभांश, जोखिम, प्रबन्ध कौशल मिला कर होता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको जबाब तो देने दीजिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इसमें कोई ऐसा रीशियो नहीं है कि केन्द्र सरकार ने कितना रीशियो कम किया । 162 रु0 समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने घोषित किया है । इसमें कोई प्रतिशत नहीं है । जो दूसरा प्रश्न है हमारे मित्र बरार साहब का कि क्या प्रदेश सरकार उसकी पूर्ति करेगी, मान्यवर, प्रदेश सरकार के पास संसाधन बहुत सीमित हैं, प्रदेश सरकार इस स्थिति में नहीं है कि उसकी पूर्ति कर सके ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 12 1/2 प्रतिशत लाभांश और खर्च लगा कर बताया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सब लगाने के बाद राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य के लिए कितने रुपये की संस्तुति की थी ? इन्होंने 170 रु0 की या 175 रु0 की । मान्यवर, स्पष्ट रूप से समर्थन मूल्य की क्या संस्तुति की, वह माननीय मंत्री जी बता दें ? मान्यवर, जिस प्रकार से गन्ने की कीमत केन्द्र सरकार निर्धारित करती है, लेकिन राज्य सरकार स्वयं भी गन्ने के मूल्य को अधिक कर देती है और किसानों को फायदा पहुंचाती है, तो वही नीति इस पर भी माननीय मंत्री जी लागू करके बताने की कृपा करेंगे कि अगर केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य कम रखा है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार विचार करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक यह प्रश्न है कि कितने रुपये की संस्तुति हमने की थी, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच में पत्राचार होता है, जो कि गुप्त रखा जाता है । यह केन्द्रीय सरकार की ऐसी नीति है ।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार के ऐसे निर्देश हैं कि प्रदेश और केन्द्र सरकार के बीच इस संबंध में जो पत्राचार हों, उसे गुप्त रखा जाय । लिहाजा इसको बताना मैं उचित नहीं समझता । दूसरा कौशिक जी ने प्रश्न किया कि कीमत में कमी है, या कमी रही है क्या सरकार उसको बढ़ाने की कृपा करेगी । मैंने पहले निवेदन किया कि राज्य सरकार के संसाधन बहुत सीमित हैं और राज्य सरकार आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि इसको बढ़ा सके ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि किसानों को 5 परसेन्ट लाभान्श रिकमेन्ड किया गया था, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 162 रु0 में कितना लाभान्श किसानों को मिलता है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैंने पांच रुपये की बात कही थी । पांच रुपये ढुलाई बाजार का खर्च, विपणन व्यय था । साढ़े 12 प्रतिशत जोखिम प्रबन्ध कौशल और कृषकों का लाभांश था । अलग-अलग उपज पर जैसे चने पर 25 प्रतिशत रखा गया है, राई पर 25 प्रतिशत रखा गया, तो यह अलग-अलग रखा गया है । यह पांच प्रतिशत नहीं पांच रुपये हैं । दूसरी बात राणा जी जानना चाहते हैं कि किस प्रतिशत में कमी की गई है तो केन्द्र सरकार ने 162 रुपये की कीमत लगभग निश्चित की है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं लाभांश पूछना चाहता हूं मैंने कहा था कि 162 रुपये जो घोषित किये हैं उसमें लाभान्स किसानों का क्या है ? यह आप लगभग ही बता दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरे पास जो केन्द्र सरकार से सूचना आई है उसमें 162 रु0 प्रति कन्ट्रोल समर्थन मूल्य का है, जिसमें लाभांश का जिक्र नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि मूल्य निर्धारण के लिए उनकी गेहूं की कास्ट आफ प्रोडक्शन में पांच प्रतिशत और 12 प्रतिशत सबको मिलाकर समर्थन मूल्य निर्धारित किया है । मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय ने पिछले साल 2 रु0 33 पैसे एक किलो पर लागत निकाली है । इस वर्ष उत्पादन लागत क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, तमाम संस्थायें हैं जो इसके बारे में बतायें कि क्या मूल्य और क्या लागत आ सकती है । मान्यवर, इसके बारे में हमारे कृषि विभाग से सर्वे होता है । चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष जो जानकारी दी है, हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसकी सूचना नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनके पास सूचना नहीं है, मैं इस बात को सत्य मान लेता हूं । उत्तर प्रदेश सरकार के पास रिसर्च सेन्टर है, जिनके पास सूचना होगी । अपने रिसर्च सेन्टर से गेहूं के उत्पादन मूल्य को लेकर, जो आपकी सरकार 162 रुपये कीमत देने जा रही है, इसमें किसानों को लाभ नहीं मिलता है, तो क्या प्रदेश के किसानों को लाभ दिलाने के लिए कोई दूसरा मूल्य तय करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जो प्रश्न माननीय किरन पाल सिंह जी ने किया, मान्यवर, जो समर्थन मूल्य है, इसके कन्सेप्ट को समझने की जरूरत है । 162 रुपया समर्थन मूल्य है । 162 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 162 से कम नहीं होगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के जन जीवन से जुड़ा है ।

श्री विजय राणा—

मान्यवर, आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय की रिकमेन्डेशन को बताने जा रहे थे लेकिन स्लिप कर गये और उसको छुपा लिया । आप कार्यवाही में देख लें, चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय की गेहूं की लागत की बात आयी है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी से इस बात को स्पष्ट करा दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैं स्पष्ट कर देता हूं कोई चीज छिपाने का प्रश्न नहीं है । चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय की 82-83 की रिकमेंडेशन थी 84-85 की होती तो मैं बता देता ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेरा आरोप है माननीय कृषि मंत्री जी पर कि वह जानबूझकर चन्द्र शेखर कृषि विश्वविद्यालय की सूचना को छुपा रहे हैं । मैंने गवर्नर अभिभाषण पर संशोधन के समय भी कहा था और परसों बजट पर चर्चा के समय भी मैंने कहा था कि 237 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं की लागत चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय की आयी है, 84-85 में तो 86-87 है । पांच रुपया गेहूं की दर बढ़ाई गई है । मेरा आरोप है, माननीय मंत्री जी पर और इस सरकार पर कि यह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा किसानों के लूट की यह साजिश है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमारे सम्मानित नेता, विरोधी दल मुलायम सिंह जी ने यह कहा कि हमने छिपाने

की कोशिश की तो ऐसा नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है, वह सारी की सारी आपको उपलब्ध करा दी। आपका यह आरोप निराधार है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिये पूरी तरह से कटिबद्ध है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने बताया कि गवर्नर एड्रेस पर मैंने जो संशोधन पेश किया, उसमें मैंने इसका जिक्र किया उसके बाद परसों बजट भाषण में भी इसका जिक्र किया, तो इसको उन्होंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की।

★7—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[6ठे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

★8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद को उत्सादित करने का संकल्प

*9—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या संसदीय कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा द्वारा विधान सभा द्वारा विधान परिषद् भंग किये जाने संबंधी प्रस्ताव कभी पारित किया जा चुका है? यदि हां, तो किस स्थिति में पड़ा हुआ है?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

वर्ष 1970 में संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद को उत्सादित करने का एक संकल्प तत्कालीन विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। पारित संकल्प की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों को भेज दी गई थी।

सर्व श्री अंसल पेपर मिल औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद की वेस्ट प्रोडक्टस से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय

★10—श्री किरनपाल सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अंसल पेपर मिल औद्योगिक क्षेत्र सिकंदराबाद, जनपद बुलन्दशहर की वेस्ट प्रोडक्टस से लगातार होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 इस वर्ष कोई कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

जी हां। सर्व श्री अंसल पेपर मिल, औद्योगिक क्षेत्र, सिकंदराबाद की वेस्ट प्रोडक्टस से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगातार प्रयास किया गया है तथा वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत इकाई के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इस औद्योगिक इकाई के विरुद्ध प्रकरण इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसला गत सत्र में 301 में भी उठाया गया था। जो लोग बुलन्दशहर से दिल्ली जाते हैं जी0 टी0 रोड से, वह जानते हैं कि वहां पर प्रदूषण कितना है। मैं जानना चाहता हूं कि किन प्राविधानों के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही चल रही है?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिज्ञासा की कि किस प्राविधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, अंसल पेपर मिल से पूछा गया था कि प्रदूषित पदार्थ का वे जो निष्कासन करते हैं, उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति जल अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार प्राप्त करनी चाहिए थी, जिसको उन्होंने नहीं प्राप्त किया। जिसके कारण बोर्ड ने जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 44 के अन्तर्गत 23-1-84 को सी0-जे0 एम0 बुलन्दशहर के यहां परिवार दायर किया, जिसमें सी0 जे0 एम0, बुलन्दशहर द्वारा निदेशकों प्रबन्ध तंत्र को सम्मन जारी किया गया, जिसमें प्रबन्ध तंत्र ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील की और वहां से हार गये। फिर हाईकोर्ट में अपील की और हार गये, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वहां से भी हार

गये। अब पुनः परिवाद सी0 जे0 एम0 के यहां प्रारम्भ हो गया है और साक्ष्य हेतु 21-2-86 की तिथि नियत है। दो को छोड़ कर सारे अभियुक्तगण हाजिर हो गये और शेष दो को 21-2-86 को हाजिर करने का आश्वासन अभियुक्तगणों द्वारा दिया गया है। यह कार्यवाही बोर्ड ने की है।

दूसरी चीज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 (1) के अंतर्गत, 13-1-84 को सी0 जे0 एम0 के यहां वाद दायर किया जिस पर सी0 जे0 एम0 बुलन्दशहर ने 24-3-84 को प्रदूषित पदार्थ का निष्कासन रोकने के लिये निषेधाज्ञा जारी कर दी है और मिल द्वारा इसका पालन न करने पर इस अधिनियम की धारा 41 (2) के अन्तर्गत बोर्ड ने 23-5-85 को सी0 जे0 एम0 के यहां वाद दायर किया जिसके विरुद्ध अभियुक्तगणों ने डी0 जे0 के यहां से 4-12-85 को स्थगन प्राप्त कर लिया। यह कार्यवाही तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की है। आप जानना चाहते हैं कि यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 ने क्या कार्यवाही की है? इन्होंने धारा 133 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद दायर किया है। इस सम्बन्ध में निगम ने एस0 डी0 एम0 सिकन्दराबाद के समक्ष अन्सल पेपर्स मिल के विरुद्ध लीज डीड के क्लाज-2(बी) एवं (सी) के सन्दर्भ में एक आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे एस0 डी0 एम0 ने अपने आदेश दिनांक 17-10-78 के द्वारा रद्द कर दिया। उसके बाद निगम ने क्रिमिनल रिवीजन संख्या 225/78 तृतीय अतिरिक्त जिला जज बुलन्दशहर के न्यायालय में दाखिल किया जो न्यायालय द्वारा 12-1-79 को स्वीकृत कर लिया गया। उसके बाद उच्च न्यायालय में अपील की गयी, जिसमें वे जीत गये। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में ले गये सन् 80 से यह मामला वहीं पर विचाराधीन है। और चूंकि मामला —न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये मैं समझता हूं इसमें ज्यादा चर्चा अपेक्षित नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मिल के प्रदूषित जल का कोई जल परीक्षण कराया गया और जो जल परीक्षण कराया गया उसकी क्या रिपोर्ट है? वह किस लेबोरेट्री से कराया गया? और उस मिल को नोटिस कब दी गयी थी?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से पहले निवेदन किया और यह तिथियां भी आपके समक्ष रख दीं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जल परीक्षण की रिपोर्ट क्या है?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इस प्रदूषित जल की निकासी के लिये जो 3 नाले पहले से थे, चूंकि उनकी खुदाई नहीं हुई थी, क्षमता नहीं है कि नदी में उसको आगे ले जा सकें, इस परिप्रेक्ष्य में 3-4 लाख रु0 सिंचाई विभाग द्वारा 1983-84 में खर्च किये गये हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह जानना चाहा कि जो जल का परीक्षण कराया गया है? उसकी रिपोर्ट क्या है और वह किस लेबोरेट्री से कराया गया है? उसको नोटिस कब दी गयी?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल प्रदूषण के परीक्षण की रिपोर्ट यहां पर उपलब्ध नहीं है।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि 133 सी0 आर0 पी0 सी0 में कार्यवाही निर्धारित होने के बाद, उन्हें प्रदूषण के शुद्धिकरण के लिये निर्देशित किया गया। उनके खिलाफ नोटिस जारी की गयी। लेकिन, वह मान्यवर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से स्टे ले आये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह मंत्रिपरिषद कहां है ? वह तो शिवजी की बरात बैठी हुई है । सवाल कुछ है, जवाब कुछ आता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह, तो उनको देखना है, आपको क्यों परेशानी है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को लाटरी बेचने का लाइसेन्स दिला दीजिये, यह उसमें ज्यादा कामयाब होंगे, आवाज भी अच्छी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्रिगण सवाल छोटा सा होता है, लम्बा चौड़ा जवाब पढ़ने लगते हैं । मान्यवर, आप इन्हें निर्देशित करें कि जितना आवश्यक है, उतना ही जवाब पढ़ें । जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने प्रश्न पूंछा है, उसका जवाब मंत्री जी के पास है नहीं । मेरा इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कुंवर रेवती रमण जी आप तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं । आपको तो जानकारी है कि प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, इस प्रश्न को स्थगित करने की बात कह रहे हैं ।

★11—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

★12—श्री विष्णु देव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ में केन्द्रीय स्टोर की स्थापना

★13—श्री मित्रसेन—

(अनुपस्थित)

विधान सभा वर्ष 85 के द्वितीय सत्र के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 19 के उत्तर के संबंध में क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ में केन्द्रीय स्टोर (दवाओं का) कब स्थापित किया गया था तथा वहां से लम्बे समय से चल रहे औषधि स्टोर की वितरण व्यवस्था में असुविधा के लिए कौन कर्मचारी अथवा अधिकारी जिम्मेदार है जबकि यहां से यातायात की सुविधायें बादशाहबाग की अपेक्षा अधिक सरल हैं ? उक्त अधिकारी के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस बात की जांच करायेंगे कि असली तथ्य क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड, लखनऊ में केन्द्रीय स्टोर (दवाओं का) दिनांक 14-12-73 को स्थापित किया गया था । विभाग के दूरस्थ स्थानों से आने वाले अधिकारी/कर्मचारी जो अपनी संस्था हेतु दवाएं लेने आते थे वे बहुधा बादशाहबाग स्थित जैविक उत्पादन शाखा से पशुओं के टीकाकरण हेतु वैक्सीन, फीड सेन्टर, बादशाहबाग से संतुलित आहार एवं पशु चिकित्सालय बादशाहबाग से चूजों को भी ले जाते थे । इस प्रकार इन्हें दो स्थानों बादशाहबाग से उपरोक्त सामग्री तथा हैवलक रोड से दवायें उठाने में समय, धन का दुरुपयोग होता था तथा असुविधा भी होती थी । इसी के निवारण हेतु जनवरी, 1985 में केन्द्रीय स्टोर (दवाओं का) को बादशाहबाग स्थानान्तरित किया गया जिससे कि समस्त सामग्री एक ही स्थान से प्राप्त हो जांय । अतएव इसके लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

★ 14—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में आलू का उत्पादन, आलू से आटा बनाने की फैक्ट्री फिरोजाबाद में स्थापित किये जाने पर विचार

*15—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में आलू जनपद में सबसे अधिक पैदा होता रहा है ? सरकारी खरीद की व्यवस्था न होने के कारण हजारों मन आलू खेत में ही रह जाता है और सैकड़ों मन आलू शीतगृह में स्थान के अभाव में बाहर पड़ा सड़ता रहता है ? यदि हां, तो किसानों की बरबादी को देखते हुये क्या सरकार किसान हित में आलू से आटा बनाने आदि की फैक्ट्री फिरोजाबाद में स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं। वर्ष 1984-85 में तहसील एतमादपुर, फतेहाबाद, आगरा, किरावली में तहसील फिरोजाबाद से अधिक आलू का उत्पादन हुआ जो अनुमानतः क्रमशः 479932 कुन्तल, 235326 कुन्तल, 141960 कुन्तल, 134955 कुन्तल तथा 133224 कुन्तल है।

खरीद व्यवस्था के अभाव में कोई आलू खेत में नहीं रहा और न ही शीतगृहों में स्थान के अभाव में आलू बाहर पड़ा रहा।

प्रदेश में, आलू पर आधारित कौन-कौन से उद्योग लाभकारी हो सकते हैं, इसके बारे में सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आलू का मसला सारे प्रदेश के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। आलू की मौजूदा हालत को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी, आलू पर आधारित जो उद्योग लग सकते हैं, जैसे आलू से आटा बनाना, आलू से चिप्स बनाना और आलू से शराब बनाना आदि उद्योगों की स्थापना करने में शासन को क्या कठिनाई है और इन्हें कब तक स्थापित कर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने आलू के बारे में जो अपनी चिन्ता व्यक्त की है, वह सही है। आलू के संबंध में पिछले वर्ष कई कठिनाईयां हुईं और यह सारे प्रदेश की समस्या है लेकिन इस वर्ष अभी तक इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। जहां तक आलू पर आधारित उद्योगों का प्रश्न है, इस संबंध में सरकार प्रयास कर रही है। इसका सर्वेक्षण यू0 पी0 हार्टिको, पिक-अप और उद्यान विभाग द्वारा किया जा रहा है। आलू से चिप्स बनाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत हापुड़ में एक उद्योग खोला गया है। पिक-अप ने भी पोटेबल अल्कोहल बनाने के लिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस मांगा है। कुछ निजी उद्यमी भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को इससे लाभ मिल सके।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए कि फिरोजाबाद में आलू के शीतगृह में आलू रखने के लिए जगह न होने के कारण आलू को बाहर ही रखा गया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। आपके विभाग का कोई भी शीतगृह वहां पर नहीं है। क्या आप वहां पर कोई शीतगृह बनाकर काश्तकारों के आलू को बरबाद होने से बचायेंगे ? दूसरा, वहां पर कोई क्रय-केन्द्र नहीं है, इसलिए वहां पर क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि क्रय केन्द्र आवश्यकतानुसार स्थापित किये गये हैं। यदि कहीं जरूरत होगी तो और स्थापित कर दिये जायेंगे। वर्मा जी, आपके यहां परसों तक क्रय केन्द्र खोल दिया जायेगा। जहां तक शीतगृह के निर्माण का प्रश्न है, यह अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री अमिताभ लवानियां—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि आगरा जनपद के तहसील फतेहाबाद में आलू सबसे ज्यादा पैदा होता है। क्या माननीय मंत्री जी आलू के अधिक उत्पादन के आधार पर वहां पर आलू से संबंधित कोई फैक्ट्री लगाने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया कि इस वर्ष आलू की कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में आलू की समस्या भविष्य में न रहे, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, इस समय मैं उस संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता हूं। लेकिन यदि कोई प्राइवेट इन्डस्ट्री वहां पर लगाना चाहता है, तो माननीय सदस्य उसे ले आयें, हम उसकी मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का समय समाप्त हुआ।

*16—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

★17—नवाब सिकन्दर अली खां—

[दिनांक 13-2-86 को अतारांकित प्रश्न सं0 35 द्वारा उत्तरित]

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् में कृषि विपणन तथा मंडी विभाग के कतिपय कर्मचारियों की विपरीत चरित्र प्रविष्टियों की निरस्ति

★18—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् में कृषि विपणन तथा मंडी विभाग के कतिपय कर्मचारियों की विपरीत चरित्र प्रविष्टियां निरस्त की गई हैं ? यदि हां, तो किसने और किस आधार से की है ? क्या उक्त पदासीन अधिकारी ने कतिपय कर्मचारियों को मण्डी समिति के सचिव संवर्ग में शामिल करने के आदेश भी किये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकार से और यदि नहीं तो प्रश्नकर्त्ता की शिकायतों की जांच करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

मण्डी निदेशक जो कृषि विपणन निदेशक भी हैं, ने नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से उक्त कार्यवाही की है।

जी हां।

मण्डी निदेशक द्वारा यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियमन 19 (3) के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी है।

★19—श्री राज किशोर सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

★20—श्री काजी कलीमुररहमान—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

1—3—श्री हर्ष वर्धन—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

4—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

बहेड़ी सहकारी कताई मिल की प्रबन्ध समिति का गठन, कर्मचारी व श्रमिकों की नियुक्ति के संबंध में दिये गये आदेश, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

5—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में सहकारी कताई मिल बहेड़ी की प्रबन्ध कमेटी बना दी गयी है ? यदि हां तो उस प्रबन्धक कमेटी को चार्ज क्या दे दिया गया ? यदि नहीं, तो सरकार प्रबन्धक कमेटी को चार्ज दिलाने का क्या शीघ्र इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह—)

बहेड़ी सहकारी कताई मिल प्रबन्ध समिति का गठन वर्ष 1982 में 3 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। जिसका कार्यकाल जून, 1985 में समाप्त हो चुका है। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

6—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के बहेड़ी सहकारी कताई मिल में सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश

नोटः—[तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।]

दिये गये थे कि साठ प्रतिशत कर्मचारी व श्रमिक वर्ग स्थानीय रखा जायेगा ? यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी व श्रमिक रखे गये हैं तथा उनमें स्थानीय कर्मचारियों व श्रमिकों की संख्या तथा प्रतिशत क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नही ।

ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था । केवल अकुशल श्रमिक प्रशिक्षार्थी श्रमिकों की भर्ती के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों के लिए 50 प्रतिशत का अनुपात निर्धारित किया गया है । मिल में 20-1-1986 तक नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या : 1091 है, जिसमें स्थानीय कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या क्रमशः 297 अकुशल/प्रशिक्षार्थी (97.7 प्रतिशत) 35 कैजुअल श्रमिक (70 प्रतिशत) 4 कर्मचारी (7.1 प्रतिशत) तथा 53 कुशल श्रमिक (7.8 प्रतिशत) हैं ।

7—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कताई मिल बहेड़ी (बरेली) में चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारी प्रतिदिन देय पर कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों में कितने जनपद बरेली के हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मिल में कर्मचारियों का वर्गीकरण सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में नहीं होता है । अतः चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारियों को प्रतिदिन देय पर भर्ती किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरेली जनपद में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को दी गई सुविधाएं

8—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में उद्योग लगाने हेतु क्या सुविधाएं दी गई हैं ? जिन क्षेत्रों को औद्योगिक संस्थान घोषित किया गया है, उनको कितनी-कितनी (राज्य सहायता) सबसीडी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली जनपद में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत पूंजीकरण के पश्चात भूमि, भवन की सुविधा, बैंकों एवं उ0 प्र0 वित्तीय निगम के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा, स्थानीय आपूर्ति विभाग से एवं उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 तथा उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 के माध्यम से भवन निर्माण कार्यों एवं उत्पादन हेतु नियंत्रित एवं दुर्लभ कच्चे माल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी है ।

इसके अतिरिक्त राज्य सहायता के अंतर्गत विद्युत, ब्याज, जेनरेटिंग सेट उपादान, परामर्श उपादान एवं मार्जिन मनी ऋण आदि सुविधायें भी उद्योगों को समय समय पर उपलब्ध करायी गयी हैं ।

दिनांक 1-10-82 को तथा उसके पश्चात स्थापित उद्योगों को बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत तीन अथवा पांच वर्षों के लिए बिक्री-कर से छूट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ।

आयातित कच्चे माल एवं यंत्र एवं संयंत्र हेतु भी इकाइयों की आवश्यक सहायता की जाती है ।

बरेली जनपद में दो औद्योगिक आस्थान क्रमशः सी0 बी0 गंज एवं भोजीपुरा में हैं ।

बरेली जनपद के उद्योगों को राज्य सहायता (पूंजी निवेश राज्य उपादान) उपलब्ध कराने की शासन की योजना नहीं है ।

जनपद बरेली में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत

9—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है तथा शेष प्रदेश के जिलों में जिलावार औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ? बरेली तथा शेष प्रदेश में औद्योगिक रोजगार में लगे व्यक्तियों के प्रतिशत में क्या अन्तर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

10—डाक्टर दिनेश जॉहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

11—14—डाक्टर दिनेश जॉहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

15—डाक्टर दिनेश जॉहरी—

[दिनांक—13-2-86 को अता0 प्र0 सं0 107 द्वारा उत्तरित]

16—डाक्टर दिनेश जॉहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

17—श्री भीखा राम—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

18—श्री भीखा राम—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

19—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

20—श्री राम जनम—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

21—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

[चौथे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0—172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

22—श्री सुखपाल पाण्डे—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

पशुधन विकास अधिकारियों की पदोन्नति तथा वेतनमान

23—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास अधिकारियों की पदोन्नति किन-किन पदों पर पशुपालन विभाग में होती है तथा इसके क्या नियम हैं ? उपरोक्त पदोन्नति का वेतनमान क्या है ?

श्री हुकम सिंह—

पशुधन विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा सेवा खण्ड (ब) के सदस्य हैं जिनकी तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित पदों पर पदोन्नति की जाती है जिनका वेतनमान रु0—850—1720/- है :—

पशुधन विकास अधिकारी	(निरीक्षण)
पशुधन विकास अधिकारी	(भेंड़)
पशुधन विकास अधिकारी	(ज्येष्ठशोध)
पशुधन विकास अधिकारी	(क्षेत्र)
पशुधन विकास अधिकारी	(ग्राम समूह)
पशुधन विकास अधिकारी	(ग्राम समूह)
पशुधन विकास अधिकारी	(शोध)
पशुधन विकास अधिकारी	(प्राविधिक)
पशुधन विकास अधिकारी	(भेंड़ एवं ऊन)

24—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

25—कर्नल केशरी सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

26—श्री भोपाल सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

हथकरघा निगम की मल्लावां गौसगंज शाखा (जनपद हरदोई) में कुल कार्यरत कर्मचारी

27—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि हथकरघा निगम की मल्लावां गौसगंज शाखा (जनपद हरदोई) में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ? क्या यह सही है कि उक्त स्थानों पर कार्यरत बुनकरों को बारबार, पांच-पांच वर्षों, कार्य करने के बाद भी न तो स्थायी किया गया है और न ही मंहगाई भत्ता तथा बोनस आदि की व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा बुनकरों के शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत शाखा में हथकरघा निगम के कुल 11 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

हरदोई के मल्लावां एवं गोसगंज केन्द्र, यूनीसेफ योजना के अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित बुनकर, जिनके पास करघे आदि की सुविधा नहीं हैं, को बुनाई करने की सुविधा प्रदान करने एवं काम देने के उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं। इन बुनकरों से आवश्यकतानुसार कपड़ा बनवाया जाता है एवं उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुरूप मजदूरों का भुगतान किया जाता है। वे बुनकर हथकरघा निगम के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए इनका स्थाईकरण करना सम्भव नहीं है, और न ही इन्हें मंहगाई भत्ता, बोनस आदि सुविधा दिये जाने का प्रश्न उठता है।

28—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

जनपद बुलन्दशहर के कृषकों को रसायनिक खाद पर छूट

29—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 83-84 में जनपद बुलन्दशहर के कृषकों को रसायनिक खाद पर छूट (सबसीडी) दी गयी थी? यदि हां, तो सैदपुर की किसान सह0 संघ (एफ0 एस0 एस0) के किसानों को छूट का एक लाख आठ हजार रुपया किन कारणों से नहीं दिया गया है? क्या सरकार द्वारा उक्त रुपया दिलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

वर्ष 83-84 में उक्त संस्था से उक्त धनराशि का कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

30—श्री मित्रसेन—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

31—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

32—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

33—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[मा0 सदस्य ने वापस लिया।]

सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की ज्येष्ठता निर्धारण व पदोन्नति

34—श्री इकबाल अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 75 सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की ज्येष्ठता निर्धारण 1984 में हो गई है उनकी पदोन्नति अब तक क्यों नहीं की गयी? इनमें से लगभग 400 (चार सौ) से अधिक कनिष्ठतम कार्यकर्ता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 में कार्य कर रहे हैं? यदि स्थान रिक्त नहीं है तो कनिष्ठतम कार्यकर्ताओं का प्रत्यावर्तन कर इन 75 स0 वि0 भा0 (कृषि) की पदोन्नति न करने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

35—श्री इकबाल अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद आजमगढ़ में कोपागंज ब्लाक में मण्डी का स्थल निर्माण

36—श्री इकबाल अहमद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कोपागंज ब्लाक में कृषि उत्पादन मण्डी की तरफ से कोपागंज में मण्डी का स्थल निर्माण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

मण्डी के निर्माण हेतु भूमि की अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

37—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

(मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।)

38—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

श्रीमती सदा प्यारी पत्नी स्व0 श्री श्याम सेवक कनौजिया निवासिनी गोसवां हरदोई को अनुकम्पा कोष से सहायता देने हेतु प्रार्थना-पत्र

39—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सदा प्यारी पत्नी स्व0 श्री राम सेवक कनौजिया निवासिनी गोसवां डा0 मल्लावां हरदोई को शासन के निर्णयानुसार अनुकम्पा कोष से सहायता देने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अगस्त के तीसरे सप्ताह में सचिव कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त विधवा को सहायता प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

तद्नुसार मामले में वांछित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सदा प्यारी का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में पत्र

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 85 के अन्तिम सप्ताह में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) जी हां ।

(2) कृषि निदेशक से जांच आख्या मांगी गयी है ।

(3) जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।

(4) जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।

(5) जांच हो रही है ।

41—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

42—45—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

46—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

कृषि विभाग, गाजीपुर के ठेकेदार श्री जायसवाल को ढुलाई के पेमेन्ट किये जाने संबंधी कार्यवाही

47—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग गाजीपुर के ठेकेदार श्री जायसवाल के 84/85 ढुलाई के 18 हजार रुपये अप्रैल 85 से जुलाई, 85 तक जिला के कैश बुक में रक्खा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त रुपये को जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर ने अपने नाम बैंक ड्राफ्ट बनवा लिया है और ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया ? क्या यह भी सही है कि ठेकेदार ने दफा 80 की नोटिस जिला कृषि अधिकारी को दी है और इसकी सूचना डी0 डी0 सी0 वाराणसी तथा सरकार को भी दे दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और जिला कृषि अधिकारी को वहां से तुरन्त हटाने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

18,309·85 रुपए कैश बुक में 30·7·85 तक रहा ।

जी हां, जिला कृषि अधिकारी ने अपने पदनाम से बैंकर्स चेक बनवाया है । ठेकेदार द्वारा अनुबन्धों के विपरीत कार्य करने के कारण उक्त धनराशि जिला कृषि अधिकारी द्वारा रोकी गयी थी । ठेकेदार के विरुद्ध 12,356·78 रुपए के वसूली आदेश दिनांक 1·2·86 को पारित किये गए हैं । शेष 5,953·07 रुपये श्री जायसवाल को देने के आदेश भी दिये गये हैं ।

श्री जायसवाल ने दफा 80 की नोटिस दी है, जिसकी प्रतिलिपि उप निदेशक कृषि तथा शासन को पृष्ठांकित है ।

कृषि निदेशक को जांच के लिये आदेशित किया गया है। दोष सिद्ध होने की दशा में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी के उप कृषि निदेशक, श्री एस0 पी0 सिंह के कार्यकाल में की गयी नियुक्तियां

48—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी के उप कृषि निदेशक, श्री एस0 पी0 सिंह ने वहां पर अपने कार्यकाल में विभाग में कितनी नियुक्तियां की हैं ? इनमें से कितनी नियुक्तियां वैधानिक एवं नियमानुसार हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कुल छः नियुक्तियां की हैं।

इनमें से तीन नियुक्तियां सर्वश्री राम प्रकाश यादव, अमरेन्द्र नाथ सिंह एवं सरयू प्रसाद मौर्य की नियमित हैं। सर्वश्री तपसी, रोशन लाल रावत एवं फौजदार सिंह की नियुक्तियां तदर्थ रूप से अन्तरोधन प्रबन्ध में की गई।

49—52—श्री बलराम यादव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

53—श्री बलराम यादव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर श्री महेन्द्र नाथ राय के खिलाफ अनियमितता भ्रष्टाचार, एवं गबन आदि के संबंध में पत्र

54—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर श्री महेन्द्र नाथ राय के खिलाफ अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं गबन आदि के संबंध में मा0 राम सजीवन, विधायक बांदा ने ता0 3 सितम्बर, 85 को तत्कालीन कृषि मंत्री व कृषि सचिव को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

कृषि निदेशक से जांच कराई जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ सी0 आई0 डी0 की विभागीय जांच

55—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ सी0 आई0 डी0 की एवं विभागीय जांच पहले से हो रही है ? यदि हां, तो उसका अब तक क्या परिणाम रहा ? क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

जी हां।

परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ।

अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

56—श्री राज किशोर सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

57—श्री राज किशोर सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

58—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

59—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह श्री फसीउर्रहमान

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

60—श्री अमीर आलम खां—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

मलिहाबाद क्षेत्र को फल पट्टी घोषित तथा कृषकों को देय सुविधायें

61—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मलिहाबाद क्षेत्र को आम बैल्ट घोषित किया गया है ? यदि हां, तो वहां पर आम के किसानों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आम बेल्ट नहीं बल्कि "फल पट्टी" घोषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का समवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत "फल पट्टी" क्षेत्र में आने वाले हानिप्रद अधिष्ठान जिनमें कि कोयले से चलने वाले उद्योग विशेषकर ईंट भट्ठे सम्मिलित हैं, को निर्बन्धित करने के लिए नियमतः कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ आवासीय योजनाओं को भी निर्बन्धित किया गया है। फल पट्टी क्षेत्र के उद्यानपतियों को फल उत्पादन बढ़ाने, विपणन, संरक्षण आदि के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रस्तावित हैं, जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

62—श्री भगवती सिंह बिशारद—

[दिनांक 13-2-86 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित।]

आगरा जनपद की फिरोजाबाद तहसील में ऊसर भूमि सुधार की योजना

63—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा की तह0 फिरोजाबाद में ऊसर बंजर के बढ़ते असर से खेती योग्य भूमि ऊसर होती जा रही है? यदि हां, तो बंजर ऊसर भूमि सुधार योजना आरम्भ करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आगरा जनपद की फिरोजाबाद तहसील में ऊसर बंजर के असर से खेती योग्य भूमि में ऊसर बढ़ नहीं रहा है।

ऊसर सुधार की योजना जनपद आगरा में वर्ष 1978-79 से प्रारम्भ की गयी। जिसके अन्तर्गत मृदा सुधारकों के मूल्य पर 3 हेक्टर से कम जोत वाले कृषकों को 75 प्रतिशत तथा अन्य को 50 प्रतिशत का अनुदान देय है।

इस योजना के अन्तर्गत तहसील फिरोजाबाद में वर्ष 1981-82 से वर्ष 1984-85 तक 174 हेक्टर ऊसर क्षेत्र को सुधारा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

64—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

राज्य कताई मिल, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में घाटा

65—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कताई मिल अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1984 तथा 85 में लगातार घाटा हुआ है? यदि हां, तो घाटे का कारण क्या था?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। मिल में घाटा निम्न कारणों से हुआ था:—

(1) विस्तारी करण योजना के अन्तर्गत समय से नियुक्तियां न होने, श्रमिकों की कमी तथा श्रमिक समस्याओं के कारण मिल की संस्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो पाना, तथा

(2) नियमित विद्युत आपूर्ति न होना कपास के मूल्य में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता में कमी, उत्पादित सूत की क्वालिटी अच्छी न होना तथा ब्याज की मद में अत्यधिक वृद्धि।

कृषि विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

66—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग का ऐसा कौन सा अधिकारी है जिससे जिला कृषि अधिकारी, सहारनपुर, सहायक परियोजना अधिकारी, अलीगढ़, जिला कृषि अधिकारी, मेरठ, उप कृषि निदेशक, फैजाबाद तथा संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) के पदों पर रहते हुए अपने अधीनस्थों/सहयोगियों से मारपीट हुई थी? यदि हां, तो सरकारी आचरणों के विरुद्ध इनके इस बरताव पर

इनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

67—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

सीतापुर जिले में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को मार्जिन मनी की सुविधा

68—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों मार्जिन मनी (कैपिटल सबसिडी स्कीम के तहत) कब से नहीं मिली है ? न मिलने का कारण क्या है तथा कब तक मिल जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को मार्जिन मनी, कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत नहीं दी जाती है । यह एक अलग योजना है । जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत सीतापुर जिले में चार उद्यमियों को मार्जिन मनी की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । अन्य एक को मार्जिन मनी ऋण रु0 20,000/-स्वीकृत किया जा चुका है जिसे औपचारिकताओं की पूर्ति होते ही वितरित कर दिया जायेगा ।

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजनान्तर्गत एक इकाई का प्रार्थना-पत्र धनाभाव के कारण अवशेष है ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन एवं उद्देश्य

69—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-5-77 को उद्योग निदेशालय उ0 प्र0 से हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय का गठन पृथक किया गया था ? यदि हां, तो इस गठन के उद्देश्य क्या थे ? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय के पृथक होने के करीब आठ साल बाद भी क्या कुछ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया ? क्या जिला स्तर, क्षेत्रीय स्तर व प्रदेश स्तर के पदों पर हथकरघा के अपने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । वर्ष 1972 में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया । इसका मुख्य उद्देश्य हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना एवं इस उद्योग की विभिन्न समस्याओं को प्रभावी रूप से हल करना था । जी हां ।

जी नहीं ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के अन्तर्गत जिला स्तर पर कोई अधिकारी स्वीकृत नहीं है । परिक्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय स्तर पर हथकरघा निदेशालय के अपने आठ अधिकारी कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त एक अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं, और एक अन्य अधिकारी का अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत पद पर हो गया है । हथकरघा निदेशालय के कुछ अधिकारी उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत उच्च वेतन मानों में भी कार्यरत हैं ।

देवरिया जनपद पिछड़े जनपद की सूची में वर्गीकरण, सबसीडी देने पर विचार

70—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद उद्योगों की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1978 से घोषित पिछड़े जिले की सूची में है ? यदि हां, तो वहां औद्योगिककरण पर सबसीडी की रेट क्या है ? क्या औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े अन्य जिलों की भांति देवरिया में औद्योगिकीकरण पर 30 प्रतिशत सबसीडी देने पर उ0 प्र0 सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जनपद को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूंजी उपादन योजनान्तर्गत 1-4-83 से "सी" श्रेणी के पिछड़े जनपदों की सूची में

वर्गीकृत किया गया है। केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार देवरिया में 10 प्रतिशत केन्द्रीय पूंजी उपादान अनुमन्य है। 30 प्रतिशत सबसीडी प्रदेश के किसी जनपद में अनुमन्य नहीं है। केन्द्रीय पूंजी उपादान योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही पूंजी उपादान अनुमन्य होने के कारण 30 प्रतिशत सब्सीडी नहीं दिया जा सकता है।

71—श्री हरि शंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

कीटनाशक लाइसेन्स धारकों को बी0 एच0-सी0 धूल की बिक्री बन्द किये जाने के आदेश

72—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के कृषि रक्षा अधिकारी ने दि0 29 अक्टूबर, 85 को कीटनाशक लाइसेंस धारकों को अपने आदेशित पत्र द्वारा 5 प्रतिशत बी0 एच0 सी0 धूल की बिक्री तुरन्त बन्द करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कीटनाशक लाइसेंस धारकों के यहां 5 प्रतिशत की बी0 एच0 सी0 धूल बचे स्टाक का क्या किया जायेगा ? क्या शासन अपव्यय बचाने हेतु इस धूल बचे स्टाक को तुरन्त वापस लेकर कीटनाशक लाइसेन्स धारकों को भुगतान देगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

73—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

74—श्री धनराज यादव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

75—डा0 दिनेश जौहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स रायबरेली में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

76—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, रायबरेली में कुल कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी सहित कार्यरत हैं ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी के नाम हाजिरी रजिस्टर पर अंकित हैं और समस्त कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत फार्म नं0 15 दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स रायबरेली में दैनिक वेतन भोगी सहित कुल 2979 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इन सभी कर्मचारियों का नाम हाजिरी रजिस्टर में अंकित है। कर्मचारियों को नियमानुसार कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत फार्म नं0-15 उपलब्ध कराया जाता है।

76—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

वाराणसी स्थित यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 डम्प में कोयले की प्राप्ति तथा आवंटन

76—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी स्थित यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 के डम्प में जनवरी, 85 से लेकर जुलाई, 85 तक कितना कोयला आया है और इसी अवधि में वाराणसी स्थित उन छोटे उद्योगों जिनको कि वर्ष 85 में 132 टन अथवा 6 वैगन से कम कोयले का आवंटन हुआ है, उनको कितना कोयला मिला है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी स्थित यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 डम्प में जनवरी, 85 से जुलाई, 85 तक कोयला प्राप्त नहीं हुआ। इस अवधि में इकाइयों को कोई कोयला वितरित नहीं किया गया।

79—श्री शारदानन्द अंचल—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

80—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

81—श्री राम नाथ मुंशी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

82—राम नाथ मुंशी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

फैजाबाद मण्डल में गए कृषि विभाग के अधिकारी श्री परशुराम सिंह तथा श्री रमेश चन्द्र सेंगर की तैनाती स्थान व किए जा रहे कार्य.

83—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल की सामान्य कृषि शाखा से स्थानान्तरित होकर फैजाबाद मण्डल में गए कृषि विभाग के दो अधिकारी (श्री परशुराम सिंह तथा श्री रमेश चन्द्र सेंगर क्रमशः वर्ग—2 एवं वर्ग—3) अपने तैनाती स्थानों पर सरकारी कार्य न करके कृषि निदेशालय में ही बने रहते हैं ? यदि हां, तो कृषि निदेशालय में उन्हें कौन सा कार्य सौंपा गया है ? यदि नहीं तो फैजाबाद मण्डल में उनका तैनाती स्थान व किये जा रहे कार्य कौन कौन से हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

श्री परशुराम सिंह, फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में तैनात हैं तथा उन्हें दलहन एवं तिलहन सम्बन्धी कार्य आवंटित हैं । वे 25-10-85 से कार्य से अनुपस्थित हैं जिसके लिए जिला कृषि अधिकारी बाराबंकी से विस्तृत विवरण मांग कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रमेश चन्द्र सेंगर इस समय जनपद बहराइच में तैनात हैं और जूट सम्बन्धी कार्य सम्पादित कर रहे हैं ।

84—श्री शारदानन्द अंचल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

वर्तमान संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, एशबाग, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत

85—श्री शारदा प्रताप—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में वर्तमान संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय एशबाग लखनऊ (श्री-सदन लाल गुप्त) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन विधायक एवं वर्तमान संसद सदस्य श्री निर्मल खत्री का रजिस्टर्ड पत्र संख्या 832, दिनांक 24-11-83 व सं0 1493 दिनांक 6-4-85 शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सत्य है कि उल्लिखित अधिकारी के भ्रष्टाचारों की विजिलेन्स विभाग द्वारा जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शासन को श्री निर्मल खत्री, संसद सदस्य का केवल एक पत्र दिनांक 5-4-85 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

श्री गुप्त के विरुद्ध लगाये गये 23 आरोपों में 21 आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । केवल दो आरोपों में उन्हें आंशिक रुप से दोषी पाया गया जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नफीस अहमद, ग्राम लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही

86—श्री काजी कलीमुरहमान—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नफीस अहमद आत्मज श्री खलील अहमद ग्राम लीलापुर पोस्ट साहबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ने दिनांक 16 मई, 1972 से 31-8-75 तक वेतनक्रम 165-215 में तकाबी चपरासी के पद पर जिला कृषि अधिकारी सुल्तानपुर के यहां कार्य किया था जिसको दिनांक 31-8-75 को सेवा मुक्त कर दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त छटनी शुदा कर्मचारी को सेवा में न लेकर नए लोगों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां तो छंटनी सुदा कर्मचारी को छोड़कर नयी नियुक्ति

करने का कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त छंटनी शुदा कर्मचारी की नियुक्ति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अन्तर्गत दो व्यक्तियों की नियुक्तियां की गयी हैं । छटनी शुदा तकाबी अमीनों/चपरासियों की सूची जिला सेवा योजन कार्यालय सुल्तानपुर तथा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को भेज दी गयी हैं, जिनकी पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही चयन समिति द्वारा नियमानुसार की जा रही है ।

87—श्री अचल सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

88—डा0 दिनेश जौहरी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

89—श्री शारदानन्द अंचल—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

जनपद जौनपुर के सोधी ब्लाक पर धान के बीज के लिए कृषकों का चुनाव

90—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज के सोधी ब्लाक पर खरीफ की फसल के समय कौन-कौन से काश्तकार धान के बीज के लिए चुने गये थे और चयन प्रक्रिया क्या थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

धान के बीज के लिए कृषकों का चुनाव नहीं किया जाता है, बल्कि जिन कृषकों को जितने बीज की आवश्यकता होती है, अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक प्रजाति का बीज क्रय कर ले जाते हैं । अतः चयन की प्रक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

"सी" श्रेणी के पिछड़े जनपदों की सूची में

जनपद जौनपुर के ब्लाक सोधी व सुइथा में मिनीकिट के अन्तर्गत रबी व खरीफ के बीज देने हेतु काश्तकारों का चयन

91—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज ब्लाक सोधी व ब्लाक सुइथा मिनीकिट के अन्तर्गत रबी व खरीफ के फसलों के बीज देने का क्या प्राविधान है तथा किन-किन काश्तकारों का चयन किया गया था ?

चयन करने की क्या प्रक्रिया थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जनपद जौनपुर में मिनिकिट के अन्तर्गत तहसील शाहगंज के विकास खंड शाहगंज (सोधी) तथा सुइथा में क्रमशः खरीफ में 141 मूंग, उर्द एवं अरहर तथा रबी में 1191, चना,मटर, मसूर एवं राई आदि दलहनी एवं तिलहनी मिनीकिट देने का प्राविधान किया गया । चयनित कृषकों की सूची सलंग्न है । †

कृषकों का चयन लघु सीमांत कृषकों में से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा चयनित कृषकों को क्षेत्र समिति के अनुमोदन से किया गया है ।

मण्डी समिति शाहगंज, जनपद जौनपुर में कार्यरत कर्मचारी

92—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर तहसील शाहगंज में मण्डी समित में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनसे मण्डी समिति को क्या लाभ प्राप्त होता है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मण्डी समिति शाहगंज जनपद जौनपुर में कुल 13 कर्मचारी कार्यरत हैं जो मण्डी क्षेत्र में मण्डी विनियमन को लागू करने, कर अपवंचन को रोकने, मण्डी शुल्क वसूल करने एवं कार्यालय से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन

†छापी नहीं गयी ।

करते हैं। इन कर्मचारियों की सहायता से समिति की आय में बढ़ोत्तरी होती है।

राज्य कताई मिल, बाराबंकी, रायबरेली, मऊनाथ भंजन एवं अकबरपुर में घाटा

93—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कताई मिल बाराबंकी, रायबरेली, मऊनाथ भंजन और अकबरपुर में वर्ष 1985 में कितना घाटा हुआ है और उसका ब्यौरा क्या है तथा घाटे का कारण क्या है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य कताई मिल, बाराबंकी, रायबरेली, मऊनाथ भंजन एवं अकबरपुर में वर्ष 1985 में रु0 493.06 लाख का नगद घाटा हुआ है।

घाटा निम्न कारणों से हुआ :—

1—कच्चे माल (कपास) के मूल्य में वृद्धि।

2—श्रमिकों की कमी एवं विद्युत की समस्याओं के कारण क्षमता का अधिकतम उपयोग न होना।

3—हड़ताल, श्रमिक समस्याओं तथा कार्यबन्दियों के कारण क्षमता के उपयोग पर विपरीत प्रभाव।

4—प्रतिकूल व्यवसायिक परिस्थितियां।

5—ब्याज के मद में अत्यधिक वृद्धि आदि।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। जिसके उपरान्त यथा अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

पौड़ी योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में विकास खण्डों का चयन

94—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में कुछ विकास खण्डों का चयन किया गया है? यदि हां, तो वह विकास खण्ड कौन से हैं और चयन का आधार क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां,

पौड़ी योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में तीन विकास खण्डों का चयन किया गया है। इनके नाम रूदौली, हैदरगढ़, एवं फतेहपुर हैं।

चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित आधारों पर किया गया :—

1—चावल का क्षेत्रफल 10 हजार हैक्टर हो।

2—विकास खण्ड की उत्पादकता भी कम हो तथा उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त सम्भावना हो

3—यह योजना चयनित जनपदों के केवल 20 प्रतिशत विकास खण्डों में ही चलाई जायेगी।

चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विकास खण्डों का चयन, जनपद बाराबंकी के विकास खण्डों को चयन किये जाने का आधार

95—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 85 में प्रदेश के 24 जनपदों के 78 विकास खण्डों का चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए चयन किया गया? यदि हां, तो यह योजना क्या है तथा विकास खंडों का चयन किस आधार पर किया गया है और सम्बन्धित विकास खण्डों के कृषकों को कोई विशेष सहायता दी जाती है? यदि हां, तो वह क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विशेष चावल उत्पादन योजना 24 जनपदों के 102 विकास खण्डों में लागू की गई है।

यह योजना एक कुन्तल प्रति हे0 प्रति वर्ष की दर से चावल की उत्पादकता की बढ़ोत्तरी करने से संबंधित हैं ।

विकास खण्डों का चयन आधार मुख्यतः निम्नवत हैं:—

1—विकास खण्ड में चावल का क्षेत्रफल 10 हजार हेक्टर हो ।

2—विकास खण्ड की उत्पादकता भी कम हो तथा उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त सम्भावना हो ।

3—चयनित जनपदों के 20 प्रतिशत विकास खण्डों में ही योजना चलाई जाय ।

जी हां ।

कृषि निवेशों, कृषि यन्त्रों, कृषि रक्षा उपकरणों पर 50 प्रतिशत अनुदान की विशेष सहायता दी जाती हैं ।

96—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी के कौन-कौन से विकास खण्ड चयनित किये गये हैं ? उक्त विकास खण्डों का चयन किसी अधिकारी द्वारा किया गया हैं अथवा शासन स्तर से इस चयन का आधार क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़, फतेहपुर एवं रुदौली विकास खण्ड चयनित किये गये हैं उक्त विकास खण्डों का चयन निम्न आधार पर भारत सरकार के अनुमोदन से किया गया हैं:—

1—विकास खण्ड में चावल का क्षेत्रफल लगभग 10 हजार हेक्टर हो ।

2—विकास खण्ड की उत्पादकता भी कम हो तथा उत्पादकता बढ़ाने की पर्याप्त सम्भावना हो ।

3—चयनित जनपदों के 20 प्रतिशत विकास खंडों में ही यह योजना चलाई जाय ।

कम्पोजिट हैन्डलूम वीवर्स योजना के अंतर्गत बाराबंकी जनपद में बुनकरों को स्वीकृत ऋण ।

97—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कम्पोजिट हैन्डलूम वीवर्स योजना के अन्तर्गत बाराबंकी जनपद में वर्ष 83—84 व 84—85 में कितने बुनकरों को कितना-कितना ऋण प्रदान गया और कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र निरस्त किये गये तथा कितने प्रार्थना पत्र अब भी विचाराधीन हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कम्पोजिट हैण्डलूम वीवर्स योजना के अंतर्गत बाराबंकी जनपद में 113 मामलों में रु0 5.79 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 1984—85 में 39 मामलों में रु0 2.38 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया । केवल तीन प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये । केवल 4 मामले विचाराधीन हैं ।

बरेली जनपद में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को ऋण दिलाने की योजना

98—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में वर्ष 1984—85 में कितने शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को ऋण दिलाने की योजना थी, उनमें से कितनों के नाम स्वीकृत कर बैंकों को भेजे गये एवं कितने नवयुवकों को बैंकों से ऋण मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष में कितने युवकों को 20000/- से ऊपर ऋण मिला ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बरेली जनपद में वर्ष 1984—85 में 750 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था । इसके विपरीत बैंकों द्वारा 680 ऋण आवेदन-पत्रों को

9103

स्वीकृत किया गया एवं उसमें से 460 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया। शेष व्यक्तियों को ऋण इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि उन्होंने बैंकों की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की या वे अपात्र थे अथवा उन्होंने रूचि नहीं ली। 1985-86 में 34 व्यक्तियों को रु0 20,000 या उससे अधिक प्रत्येक को ऋण देने की संस्तुति विभिन्न बैंकों को टास्कफोर्स द्वारा भेजी गयी है।

जनपद बाराबंकी में कम्पोजिट हैन्ड लूम वीवर्स स्कीम के तहत बुनकरों को ऋण देने हेतु संस्तुति

99—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में जनवरी, 84 से अक्तूबर, 85 तक कम्पोजिट हैन्डलूम वीवर्स स्कीम के तहत जिला उद्योग वित्त कमेटी द्वारा कितने बुनकरों को ऋण देने हेतु संस्तुति की गयी और उनमें से कितने लोगों को अक्तूबर, 85 के अन्त तक ऋण प्राप्त हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में कुल 181 बुनकरों को ऋण देने हेतु संस्तुति की गई। उपरोक्त अवधि में 128 बुनकरों को ऋण वितरण हेतु 6.94 लाख रुपये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा निर्गत किया गया।

कम्पोजिट हैण्डलूम वीवर्स योजना के अन्तर्गत ऋण देने की अधिकतम राशि

100—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कम्पोजिट हैण्ड लूम वीवर्स योजना कब से लागू है तथा इसके अन्तर्गत ऋण देने की अधिकतम राशि क्या है ? क्या यह सही है कि जिला उद्योग वित्त कमेटी की संस्तुतियों के बावजूद भी इस जनपद में किसी भी बुनकर को 6 हजार से अधिक का ऋण नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कम्पोजिट हैण्डलूम वीवर्स योजना वर्ष 1980 से प्रारम्भ हुई थी। इसके अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु0 25 हजार प्रति बुनकर थी, किन्तु लोक धन के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रारम्भ में बुनकरों को केवल एक लूम के लिए प्रति परिवार रुपये 3 हजार की दर से ऋण स्वीकृत किया जाय। बाद में दो लूम के लिए प्रति परिवार को रुपये 6 हजार की दर से ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

निर्धारित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के पश्चात् यदि बुनकर को अतिरिक्त ऋण (अधिकतम सीमा 25 हजार) की आवश्यकता हो तो उस पर पुनः विचार किया जा सकता है।

101—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

102—श्री जयदीप सिंह बरार—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

103—श्री जयदीप सिंह बरार—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

104—105—श्री जयदीप सिंह बरार—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

106—श्री जयदीप सिंह बरार—

[मा0 सदस्य ने वापस लिया।]

श्री राजेन्द्र सिंह, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मथुरा की मृत्यु तथा आश्रितों को प्रदत्त सुविधायें

107—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र सिंह पशु प्रजनन शिक्षण विभाग पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय च0 शे0 आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मथुरा प्रांगण मथुरा का देहावसान दिनांक 9-10-81 को पद पर रहते हुआ था ? यदि हां, तो उनके पुत्र श्री चन्द्र मोहन सिंह को विभाग से वांछित लाभ न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या उनकी संतान को शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य का मंडी समिति सहारनपुर के क्रियाकलापों के संबंध में शिकायती-पत्र

108—श्री राम सरन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रशीद मसूद, संसद सदस्य का दि0 12-8-84 का कोई शिकायती पत्र जो मंडी समिति, सहारनपुर के क्रिया कलापों के संबंध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां, जांच पूरी हो गई है । विभागीय कार्यवाही सम्भागीय उप निदेशक (प्रशासन) जो कि नियुक्ति प्राधिकारी हैं, के स्तर से की जा रही है । शिकायत तथा जांच का विवरण संलग्न है । †

109—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[4 थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

110—श्री रणजीत—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

खलीलाबाद, बस्ती में जनता धोती बनाने वाले बुनकरों से खरीदे गये माल का बकाया भुगतान, निम्न स्तर एवं मानकों की धोतियों का क्रय किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

111—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त 85 के प्रथम सप्ताह में हाफिज शाह मोहम्मद खलीलाबाद, बस्ती में उन्हें इस आशय की शिकायत मिली कि जनता धोती बनाने वाले बुनकरों से खरीदे गये माल का महीनों भुगतान नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि हथकरघा संघ, खलीलाबाद, बस्ती के परियोजना अधिकारी जनता धोतियां हथकरघा से बनवाकर पावरलूम से बनवाते हैं और नान कन्ट्रोल कपड़े के नाम पर पानीपत व अन्य स्थानों से कपड़ा मंगाकर कुछ बोगस फर्म यह बताकर परियोजना अधिकारी को बेचती है कि वह खलीलाबाद बस्ती के बुनकरों का बनाया हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । परन्तु यह शिकायत सही नहीं है कि जनता धोती बनाने वाले बुनकरों से खरीदे गये माल का महीनों भुगतान नहीं किया जाता । भारत सरकार से जनता धोती के उत्पादन पर सब्सिडी एवं शीर्ष सहकारी समितियों से जिन्हें धोती विक्रय किया जाता है, से भुगतान विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बुनकरों को भुगतान में कुछ देर अवश्य हो जाती है । वर्तमान में जनवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह तक क्रय किए गए कपड़ों का भुगतान कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

खलीलाबाद में हथकरघा पर बनी निम्न स्तर एवं मानकों की धोतियां अवश्य क्रय कर ली गई थी । जिसमें दोषी पाए गए अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ।

112—श्री राम सजीवन—

[तीसरे बुधवार में अता0 प्र0 सं0—57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बलिया के उत्पादन मंडी समितियों के आय-व्यय का विवरण

113—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के उत्पादन मंडी समितियों का वर्ष 83-84 व 84-85 का आय व्यय क्या है तथा इन समितियों ने अपने समिति क्षेत्र में

† छापी नहीं गयी ।

किसानों की सुविधा के लिए कितने-कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया है ? क्या इस संदर्भ में बिल्थरा रोड समिति के क्रियाकलापों की जांच करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

बलिया जनपद के उत्पादन मण्डी समितियों का वर्ष 83-84 व 84-85 का आय-व्यय विवरण एवं उनके द्वारा समिति क्षेत्र में निर्मित सड़कों की लम्बाई की सूचना संलग्न है। बिल्थरा रोड समिति के क्रिया-कलापों की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 51 पर)

विकास खण्ड सीयर और नगरा, जनपद बलिया के कृषि गोदामों की संख्या

114—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वि0 खं0 सीयर और नगरा जनपद बलिया के कृषि गोदामों की संख्या क्या है और उन गोदामों पर वर्ष 83-84 व 84-85 में कितनी-कितनी खादें आयी और लघु सीमान्त और सामान्य किसानों को वितरण के आंकड़े क्या रहे ? क्या इन वर्षों के आंकड़े और उनके रजिस्टरों की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विकास खण्ड सीयर व नगरा जनपद बलिया में क्रमशः दो व तीन कृषि गोदाम हैं।

विकास खण्ड सीयर व नगरा में वर्ष 1983-84 एवं 1984-85 में निम्न मात्रा की खाद (मै0 टन में) आयी :-

वर्ष	सीयर	नगरा
83-84	248.055	460.640
84-85	198.965	618.847

विकास खण्ड सीयर एवं नगरा में लघु सीमान्त और सामान्य कृषकों को वर्ष 83-84 एवं 84-85 में वितरण के आंकड़े (मै0 टन में) निम्न प्रकार रहे :—

विकास खण्ड, सीयर

वर्ष	लघु एवं सीमान्त कृषकों को	सीमान्त कृषकों को
83-84	148.738	163.928
84-85	24.700	2.550

विकास खण्ड, नगरा

83-84	20.954	115.518
84-85	177.007	212.384

आंकड़ों और उनके रजिस्टरों की जांच के संबंध में कोई अनियमितता अथवा शिकायत परिलक्षित नहीं हुई है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के उद्यमियों को उद्योग विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु ऋण का वितरण

115—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 83-84 तथा 84-85 में कितने लोगों को उद्योग विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु ऋण वितरित किया गया ? क्या सभी उद्योग चल रहे हैं या उनमें से कुछ निष्क्रिय हो गये हैं ? क्या मंत्री जी संबंधित व्यक्तियों को जिन्हों ऋण दिया गया है सूची, उनके उद्योग का नाम व स्थान तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बाराबंकी में वर्ष 83-84 में 4 तथा वर्ष 84-85 में 6 उद्यमियों को उद्योग विभाग द्वारा उद्योग लगाने हेतु मार्जिन मनी ऋण वितरित किया गया। इनमें से केवल 9 उद्योग कार्यरत हैं तथा एक उद्योग निष्क्रिय है। ऋण दिये गये व्यक्तियों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 52 पर।)

116—श्रीमती शारदा देवी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

कृषि विभाग में टी0 एण्ड बी0 स्कीम को लागू किया जाना

117—श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में टी0 एण्ड बी0 स्कीम को लागू किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

क्या कृषि मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा अनुभाग में कार्यरत वर्ग दो के सदस्यों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

1985—86 से ।

1-10-75 से स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है । 1-7-79 से दिए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग में श्रेणी 1 व 2 एवं वर्ग 1 में की गई पदोन्नति में आरक्षण कोटा

118—श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में क्लास फर्स्ट, सेकेण्ड एवं वर्ग 1 में की गयी पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की आरक्षित कोटे के मुताबिक पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो कितने लोगों की पदोन्नति की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी—1 व 2 एवं वर्ग—1 में की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की पदोन्नति की गई है । परन्तु कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य उपलब्ध न होने अथवा अनुपयुक्त पाए जाने के कारण आरक्षित कोटा पूरा नहीं किया जा सका है ।

विवरण निम्न प्रकार है :—

श्रेणी—1	9
श्रेणी—2	40
वर्ग—1	87

119—120—श्रीमती शारदा देवी—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण, श्री छेदा लाल पाल को लखनऊ वापस कराने की मांग

121—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण तैनाती के दूसरे जनपद में नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन उद्योग मंत्री के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में लखनऊ राजकीय प्रेस से रामपुर राजकीय प्रेस को स्थानान्तरित किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री छेदा लाल पाल को लखनऊ वापस करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हां, सामान्यतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण तैनाती के दूसरे जनपद में नहीं किया जाता । यह एक मार्ग दर्शक निर्देश है । राजकीय मुद्रणालयों की स्थिति भिन्न है । राजकीय मुद्रणालय प्रदेश के पांच जिलों यथा इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर तथा सहारनपुर (रुड़की) में है । अतः अधिकारियों/कार्मचारियों के स्थानान्तरण इन्हीं स्थानों में एक से अन्यत्र प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये जा सकते हैं । उपर्युक्त वर्णित स्थिति में श्री छेदा लाल पाल को लखनऊ वापस कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है ।

आगरा जनपद में फलों का जूस व जैली का कारखाना यू0 पी0 हार्टिको द्वारा स्थापित करने की योजना

122—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि0 23-3-84 पर तत्का-

लीन ग्राम्य विकास मंत्री श्री बलराम सिंह यादव द्वारा आगरा जनपद में फलों का जूस व जैली का कारखाना स्थापित करने हेतु मांगी गयी प्रारंभिक औपचारिकतायें पूरी हो गयी हैं ? यदि हां, तो कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

आगरा जनपद में फलों का जूस व जैली का कारखाना यू0 पी0 हार्टिको द्वारा स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 23-3-84 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

आगरा जनपद में पशुधन विकास सहायकों का स्थानान्तरण

123—श्री विजय सिंह राणा—

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि एक पशुधन विकास सहायक एक स्थान पर 5 वर्ष तथा एक जनपद में 20 वर्ष तक रह सकता है ? यदि हां, तो आगरा जनपद में ऐसे कितने पशुधन विकास सहायक हैं जिन्हें आगरा में ही एक स्थान पर 5 वर्ष से अधिक और उसी जिले व एक तहसील में ही 20 वर्ष से अधिक समय तक रहकर कार्य करते हो गया, किन्तु उनका स्थानान्तरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—

मैदानी क्षेत्र में सामान्यतः एक स्थान पर कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक रक्खे जाने के आदेश हैं किन्तु जनपद में पदस्थ रहने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

आगरा जनपद में एक पशुधन विकास सहायक ऐसा है जो एक तहसील में 20 वर्ष से अधिक तथा एक स्थान पर 5 वर्ष से अधिक समय पूर्ण कर चुका है । इनकी पत्नी के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उनकी प्रार्थना पर स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया गया । जिन पशुधन विकास सहायकों को 5 वर्ष एक स्थान पर पूरे हो गये हैं उनका स्थानान्तरण आगामी वार्षिक स्थानान्तरण के समय सामान्य परिस्थिति के अन्तर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

आगरा जनपद में खारी नदी के क्षेत्र को संतरा नीबू, मौसमी व माल्टा के लिए उत्पादन क्षेत्र घोषित किए जाने पर विचार

124—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आगरा जनपद में खारी नदी के क्षेत्र को संतरा, नीबू, मौसमी व माल्टा आदि के लिए उत्पादन क्षेत्र घोषित किए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो खारी नदी के क्षेत्र को माल्टा उत्पादन क्षेत्र बनाये जाने के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत क्वारीखान से पत्थर की खुदाई का कार्य प्रतिबन्धित किया जाना

125—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शासन बताने की कृपा करेगा कि आगरा में फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत क्वारीखान से पत्थर की खुदाई का कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? क्या यह सही है कि पत्थर की खुदाई का कार्य प्रतिबंधित होने के बाद भी हो रहा है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी भी क्वारी खान के पत्थर को मान्यता दे रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम सीकरी एक हिस्सा, सीकरी दो हिस्सा, सीकरी चार हिस्सा, आराजी इम्लाक, मादउ बारउ, दादूपुरा व गुड़ की मंडी में पत्थर की खुदाई का कार्य भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 11 जून, 1983 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। ये क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में ले लिये हैं क्योंकि वे पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और खनन से उन्हें क्षति होने की सम्भावना थी।

प्रतिबन्धित क्षेत्र में से केवल एक क्षेत्र ग्राम आराजी इम्लाक में न्यायालय से स्थगन आदेश के आधार पर कुछ खनन कार्य हुआ है। स्थगन आदेश निरस्त कराने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन कार्य को मान्यता नहीं दी गयी है।

126—श्री शारदा नन्द अंचल—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

बरेली के सुर्मा उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु योजना

127—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि बरेली में वर्षों से विश्व विख्यात सुर्मा बनता है किन्तु इस उद्योग को सरकार की ओर से किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिलने के कारण सुर्मा बनाने का कार्य धीरे-धीरे कम होता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ने बरेली के सुर्मा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली में प्रसिद्ध सुर्मा बनता है। इस उद्योग में परम्परागत रूप से कतिपय परिवार लगे हुये हैं। यह सही नहीं है कि शासन की ओर से इस उद्योग को प्रोत्साहन न मिलने के कारण यह उद्योग कम होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि सुर्मा उपयोग में जनता की रुचि एवं फैशन कम होता जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा सुर्मा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। इस उद्योग को अन्य लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों की भांति वित्तीय सहायता एवं अन्य सुविधा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से दी जा सकती है। जिला उद्योग केन्द्र बरेली में किसी सुर्मा उद्यमी ने वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया है।

128—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित]

सोनरई क्षेत्र में राज्य खनिज विकास निगम की राक-फास्फेट परियोजना में ललितपुर जनपद के कार्यरत कर्मचारी

129—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के राकफास्फेट सोरई में ललितपुर जनपद के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा बाहर के कितने लोग कार्यरत हैं? जो लोग यहां बाहर के लगे हैं उनकी नियुक्तियों का आधार क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम की राक-फास्फेट परियोजना में 21 कर्मचारी ललितपुर जनपद के तथा शेष 19 कर्मचारी अन्य जनपदों के कार्यरत हैं। उक्त 19 में से 11 कर्मचारी कार्य के हित में आवश्यकतानुसार निगम के अन्यत्र चल रहे खनन कार्य-स्थलों से स्थानान्तरित किये गये। शेष 8 वे कर्मचारी थे जो परियोजना, प्रारम्भ करने के लिये निगम की मशीन वाहन तथा अन्य सामान के साथ भेजे गये थे। अतः खनन कार्य सम्बन्धी पूर्व अनुभव व कार्य के हित में ही वे व्यक्ति इस परियोजना में रखे गये।

ललितपुर जनपद के पशुपुरा कुआं क्षेत्र में खनन का कार्य

130—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के पुराधन कुंआ टोढ़ी की डाईस्पोर, पेरा फ्लाईट की खदानों का कार्य विगत 6 वर्ष से कहीं भी नहीं हो रहा है जबकि इसमें माइन्स विभाग के 10 कर्मचारी लगे हैं और उन पर 10 हजार रुपया मासिक व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है कि इन खदानों को चालू नहीं किया जा रहा है ? क्या निजी क्षेत्र के लोगों को देकर कार्य कराने का शासन का विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग जिसका सही नाम पुराधन कुआं क्षेत्र में पिछले 6 वर्ष में खनन कार्य नहीं हुआ है। टोरी क्षेत्र में, एक रिफैक्ट्रीज उद्योग स्थापित कराये जाने के उद्देश्य से, खनन पट्टा उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 को दिया गया था। सामाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव इस उद्योग को स्थापित करने के लिए मांगे गये थे एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इस कारण अभी खनन कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन खदानों में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

जी नहीं।

राजकीय पशु चिकित्सालय, हैवलक रोड लखनऊ के स्टाफ मैन का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण न किये जाने का कारण

131—श्री विजय सिंह राणा—

द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम सोम0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ के स्टाफ मैन जो पिछले 10 वर्ष से कार्यरत हैं, के स्थानान्तरण को निरस्त करने के संदर्भ में कार्यहित का जो कारण दिया है, वह कार्यहित क्या है ?

श्री हुकुम सिंह—

पशु चिकित्सालय हैवलक रोड, लखनऊ पर कार्यरत पशुधन विकास सहायक को इस चिकित्सालय पर पदस्थ हुए दस वर्ष नहीं हुए हैं।

उस समय नगर में पशुरोग (रिन्डरपेस्ट) का प्रकोप था इस कारण सम्बन्धित पशुधन विकास सहायक को रोका गया था। अतः कार्यहित का उल्लेख किया गया था।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई आगरा जनपद में धाधूपुरा से करगना-नगला तक की सड़क पर व्यय

132—श्री विजय सिंह राणा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति के धन से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई आगरा जनपद में अधपुरा से कराना तक की सड़क के लिए मण्डी समिति से सा0 नि0 विभाग को कितना रुपया दिया गया था और कितना रुपया व्यय हुआ ? क्या मण्डी समिति की कुछ धनराशि अभी तक सा0 नि0 वि0 पर शेष है ? यदि हां, तो इस धन से सड़क को पक्का कराये जाने की प्रक्रिया आरम्भ न करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत मार्ग जिसका सही नाम धाधूपुरा से करगना-नगला तलफी है पर खड़ंजा लगवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को रुपया 1.20 लाख दिया गया था जिसमें से रु0 1,00,321-75 व्यय हुआ। इस धनराशि में से रु0 19, 678-75 अभी विभाग के पास शेष है। इस धन से सड़क को पक्का कराये जाने की प्रक्रिया आरम्भ नहीं हुई, क्योंकि इस सड़क को पक्का कराने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

133—134—श्री सुखपाल पाण्डे—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

135—श्री सुखपाल पाण्डे—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

136—श्री सुखपाल पाण्डे—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री राजमणि वर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा कृषि रक्षा अधिकारी के अधिकारों का उपयोग तथा नियमों के उल्लंघन की जांच

137—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई से 31 जुलाई 85 तक कृषि रक्षा अधिकारी, बस्ती कार्यालय से बाहर अवकाश पर थे, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक को कृषि रक्षाधिकारी के कार्यों का सम्पादन करना चाहिए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राजमणि वर्मा, वरिष्ठ लिपिक द्वारा 1 जुलाई से 31 जुलाई, 85 तक कृषि रक्षाधिकारी के अधिकारों का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में कौन-कौन सा कार्य कृषि रक्षाधिकारी के अधिकारों का उपयोग तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त अवधि में किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोण्डा जनपद के छटनी शुदा कृषि अमीनों तथा चपरासियों के बकाया अवशेषों का भुगतान किये जाने संबंधी कार्यवाही

138—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के छटनीशुदा कृषि अमीनों तथा चपरासियों का कितना बकाया अवशेष है तथा इन छटनी शुदा अमीनों तथा चपरासियों के बकाया का भुगतान विभाग द्वारा अब तक न किये जाने का क्या कारण है जब कि उनकी सेवाएं सितम्बर सन् 1975 में ही समाप्त कर दी गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत अमीनों तथा चपरासियों को रु0 15, 903-95 पैसे भुगतान हेतु अवशेष हैं । भुगतान से सम्बन्धित बिल कालातीत होने के कारण पूर्व सम्प्रेक्षा हेतु महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया है, जिसके वापस प्राप्त न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है ।

139—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन छटनीशुदा अमीनों तथा चपरासियों के अवशेष पावनाओं का भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां,

140—श्री सुखपाल पाण्डे—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

141—श्री मैनेजर सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

जनपद गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी श्री महेन्द्र नाथ राय का स्थानान्तरण

142—श्री मैनेजर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी श्री महेन्द्र नाथ राय का गंभीर शिकायतों पर जांच के बाद स्थानान्तरण भूमि संरक्षण अधिकारी बिजनौर के पद पर किया गया था ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण निरस्त करने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) जी हां ।

(2) जिलाधिकारी, गाजीपुर तथा अन्य स्तर से प्राप्त संस्तुतियों पर विचारोपरान्त स्थानान्तरण आदेश जनहित में निरस्त किया गया ।

143—श्री मयंकर सिंह—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित ।]

हरिहरपुर रेकवारी, जनपद बहराइच में पशु चिकित्सालय का निर्माण

144—श्री मयंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिहरपुर रेकवारी ग्राम व ब्लाक—हुजूरपुर, जिला बहराइच में पशु चिकित्सालय के लिए निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा तथा किन कारणों से अभी तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ ?

श्री हुकुम सिंह—

पशु चिकित्सालय हरिहरपुर रेकवारी जनपद बहराइच के लिए भूमि जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा दिनांक 1-2-86 को उपलब्ध करायी गयी है जिस पर चिकित्सालय भवन निर्माण की व्यवस्था की जा रही है।

145—श्री विष्णु देव—

[मा0 स्वास्थ्य मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित।]

नोयडा, जनपद गाजियाबाद के विकास हेतु गांवों का लाल डोरा निर्धारित करने में हुई कमियां

146—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत नोयडा में लिए गए गांवों का लाल डोरा निर्धारित करने में क्या कमियां हुई हैं और उन्हें कब तक दूर किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नोयडा, जनपद गाजियाबाद के विकास के लिए जिन गांवों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है उनके लाल डोरा निर्धारित करने में कोई कमी नहीं हुई है। अतः उन्हें दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो निगम के निदेशक मण्डल द्वारा नई नियुक्तियों पर पाबन्दी

147—श्री शारदा प्रताप तथा नवाब सिकन्दर अली खां—

कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो निगम के निदेशक मण्डल द्वारा नई नियुक्तियों पर पाबन्दी के बाद भी बराबर नई नियुक्तियां की जा रही हैं एवं दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नियुक्तियों को रोके जाने एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

संचालक मण्डल द्वारा समय-समय पर नई योजनाओं जैसे-धान/गेहूं क्रय आदि के कार्यान्वयन हेतु वांछित स्टाफ को स्वीकृत प्रदान की जाती रही है। इसके अतिरिक्त निगम के बढ़े हुए व्यवसाय/सीजनल उर्वरक बिक्री कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु दैनिक वेतन/संकलित वेतन पर भी कर्मचारियों की नियुक्तियां निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार ही की जाती रही हैं। कार्य समाप्ति के उपरान्त दैनिक वेतन/संकलित वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। ये नियुक्तियां निगम के व्यवसाय के हित को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो निगम में लेखानुभाग व अन्य अनुभागों में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

148—श्री शारदा प्रताप—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो निगम में लेखानुभाग (मु0) अन्य अनुभागों में कर्मचारियों को सरप्लस दिखाकर स्थानान्तरित कर दिया गया एवं उसके कुछ ही दिनों बाद कार्य की अधिकता दर्शाते हुए उन्हीं स्थानों पर दैनिक वेतन पर नई नियुक्तियां की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के लेखानुभाग (मुख्यालय) के चार अनुभवी कर्मचारियों को निगम के सेवा मण्डल तथा उर्वरक मण्डल के पिछड़े हुए लेखों को पूर्ण कराने के लिए स्थानान्तरित किया गया था। इन चारों कर्मचारियों का स्थानान्तरण सरप्लस दिखाकर नहीं किया गया।

निगम के कृषि वर्कशाप व पशु आहार मण्डलों में काम की कमी होने के कारण वहां के कतिपय कर्मचारियों को निगम के उर्वरक मण्डल में जहां व्यवसाय में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, स्टाफ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरक मण्डल में स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया।

लेखानुभाग (मु0) में यू0 पी0 एग्रो कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को पर्चियां आदि जारी करने हेतु दैनिक वेतन पर पांच कर्मचारियों को अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया था जिन्हें बाद में सेवा से हटा दिया गया। कृषि वर्कशाप एवं पशु आहार मण्डल जहां काम कम होने के कारण कुछ कर्मचारियों को उर्वरक मण्डल में लगा दिया गया था, के स्थान पर कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी।

उपरोक्त व्यवस्था निगम के कार्यहित में की गयी थी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त कृषि निदेशक को बीज प्रमाणीकरण के निदेशक पद पर तैनात करने का औचित्य

149—कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विजिलेन्स की खुली जांच चलते रहने पर भी कृषि विभाग के एक संयुक्त कृषि निदेशक को बीज प्रमाणीकरण के निदेशक पद पर तैनात करने का क्या औचित्य है तथा एक ऐसे ही अन्य अधिकारी को फर्जी पी0 एच0 डी0 की डिग्री रखने तथा उनके विरुद्ध विजीलेन्स जांच चलते रहने पर भी कृषि भवन से न हटाये जाने का क्या कारण है? इन्हें कब तक इनके पदों से स्थानान्तरित कर दिया जायगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) श्री हरीकृष्ण, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) के विरुद्ध गोपनीय सतर्कता जांच चल रही थी। इनकी सेवायें बीज प्रमाणीकरण संस्था में संयुक्त निदेशक की हैसियत से ही बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर निदेशक, बीज प्रमाणीकरण के पद पर हस्तान्तरित की गई थीं। इनको कोई पदोन्नति नहीं दी गई थी। कथित सतर्कता जांच रिपोर्ट में की गई सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) डा0 रनवीर सिंह, सहायक निदेशक को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पी0-एच0 डी0 डिग्री को विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिये जाने के फलस्वरूप डा0 सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट-याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। सतर्कता अधिष्ठान की सतर्कता जांच रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों के अनुरूप डा0 सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। चूंकि डा0 रनवीर सिंह सहायक निदेशक (सूरजमुखी) के पद पर दिनांक 23-6-84 से कार्यरत हैं, इसलिए अभी स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

(3) इन्हें इनके वर्तमान पदों से अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

श्री रमेश चन्द्र सेंगर सीड इंचार्ज, हरदोई के कार्यकाल में घोटाले की जांच

150—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश चन्द्र सेंगर, सीड इन्चार्ज, हरदोई के कार्यकाल में कितने-कितने लाख रुपये का घोटाला प्रकाश में आया तथा इस मामले पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है एवं इनको निलम्बित करके शीघ्र ही बहाल करने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री रमेश चन्द्र सेंगर, सीड स्टोर इन्चार्ज, हरदोई के कार्यकाल में 2,93,886—67 रुपयों के बारे में विभिन्न आडिट आपत्तियां हुई। इन आडिट आपत्तियों के कारण उन्हें निलम्बित कर दिया गया और उप कृषि निदेशक-कम प्रभारी अधिकारी सम्भागीय कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हरदोई को प्रारम्भिक जांच हेतु नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक जांच, रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि श्री सेंगर के विरुद्ध

लगाई गई आडिट आपत्तियों में अधिकांश का समाधान किया जा चुका है, केवल कुछ ही के सम्बन्ध में कार्यवाही शेष रह गई है जो की जा रही है और इन आपत्तियों के आधार पर निलम्बन जैसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया । अतः श्री सेंगर का निलम्बन समाप्त कर दिया गया । परन्तु फिर भी उप कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल की अन्तिम आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में चल रही चावल मिल योजना के संयुक्त निदेशक द्वारा अनाधिकृत रूप से धन का आहरण

151—श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में चल रही चावल मिल योजना के संयुक्त निदेशक ने वर्ष 83—84 में अनाधिकृत रूप से अपने निजी कार्य हेतु लगभग 3000 रुपए सरकारी धन से आहरित किए थे, जिनकी कटौती वे 200 रुपए प्रति माह करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय में ऐसा नियम है ? यदि नहीं तो पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वर्ष 1983—84 में, निजी कार्य हेतु नहीं, वरन वर्ष 1981—82 में बकाये वेतन के रूप में रुपये 3492.80 पैसे का भुगतान एक ही माह में दो बार लिया गया था, जिसमें से रुपये 2863.30 पैसे का नकद भुगतान लिया था तथा शेष उनके भविष्य निधि खाते व बेनेवलेंट फंड में जमा हो गया था ।

अधिक नकद भुगतान की पूरी वसूली नवम्बर, 82 से अगस्त, 85 तक के वेतन से किस्तों में की जा चुकी है । भविष्य निधि तथा बेनेवलेंट फंड में जमा धनराशियों की वापसी की भी कार्यवाही की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

उक्त अधिकारी से इस प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जायेगी ।

स्वास्थ्य मंत्री के प्रार्थना-पत्र पर आज के स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना दे दूं । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के प्रार्थना-पत्र पर मैंने आज के स्वास्थ्य विभाग के प्रश्नों को स्थगित कर दिया है । आज के स्थगित प्रश्नों को दिनांक 27-2-86 को शाम को लिया जायेगा ।

वाराणसी में पुलिस द्वारा सदस्य, विधान सभा डा0 रजनीकान्त दत्त की पिटाई सम्बन्धी विवरण को सदन में प्रस्तुत करने की मांग

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

कल एक औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए, जिस पर कल सदन में चर्चा भी हुई, डा0 रजनीकान्त दत्त, जिनको बनारस में पुलिस ने पीटा, उस सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी थी कि श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मैनेजर सिंह, श्री राम नरेश वहां जायें और दत्त साहब के साथ क्या घटा है, इसका विवरण दें । यह लोग कल वहां गये थे, मेरा प्रश्न यह है कि और काम लेने से पहले कृपा करके वहां घटित घटनाओं के सम्बन्ध में और डा0 दत्ता के सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

बेहतर यह होगा कि जो माननीय सदस्यगण और माननीय मन्त्री जी गये हैं, पहले मैं अपने कमरे में बात सुन लूं, फिर जैसा मुनासिब होगा सदन के सामने रख दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपने अभी यह कहा कि जो भी बनारस में गये, उनसे आप अपने चैम्बर में बात करके यदि उचित होगा तो सदन में बतायेंगे वरना नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दत्ता साहब का मामला अलग है, लेकिन जो बनारस का मामला है, वह मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन के अन्दर ही सारे मा0 सदस्यों को स्थिति बतायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रजनीकान्त जी सदन में मौजूद हैं, जिनसे ताल्लुक है, पहले उन्हें सुन लेने दें।

डा0 रजनीकान्त दत्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को सबेरे 8 बजे मेरे घर के पास रहने वाले मेरे क्षेत्र के कुछ लोग आये और बोले कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, पराग का दूध जहां से वितरित होता है, आ गया है, लेकिन दुकानदार डर के मारे दूध नहीं बांट रहा है, आप चलकर दूध बंटवा दीजिये। यह विश्वनाथ मन्दिर के आसपास का हिस्सा है, जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के भी हैं, लेकिन आज तक यहां पर कभी कोई साम्प्रदायिक तनाव या झगड़ा नहीं हुआ है। 17 तारीख की शाम को जब माननीय सांसद श्री श्याम लाल जी बनारस में थे, मैं बनारस में था, मिनिस्टर श्री लोकपति त्रिपाठी जी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी भी वहां थे, बिना हम लोगों को कानफीडेंस में लिये हुए वहां पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। जब मेरी टेलीफोन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कर्फ्यू लग गया है, मैंने कहा कि कर्फ्यू पास भिजवा दें, उन्होंने कहा स्वयं आकर कर्फ्यू पास ले जायें। हमने कहा कि क्या हमको स्वयं आना पड़ेगा ? इस पर उन्होंने कहा कि सबेरे तक भिजवा देंगे लेकिन नहीं भिजवाया। मैंने अपना आइडेन्टिटी कार्ड अपनी जेब में रखा और महल्ले के लोगों के साथ दूध वितरण के लिये चल पड़ा।

यह वह रास्ता है जो बासफाटक से विश्वनाथ मन्दिर का प्रवेश द्वार का मार्ग है, मान्यवर, गली के सामने सड़क के उस पार पुलिस के कुछ कांस्टेबिल बैठे हुए थे। करीब जाने पर मैंने उन्हें पहचाना कि मेरे ही चौक थाने के वे कांस्टेबिल हैं। मैंने उनसे कहा तुम लोगों में से एक आदमी हमारे साथ आ जाओ और खड़े होकर दूध को हम लोग बंटवा दें। उन्होंने कहा कि डी0 एम0 की परमिशन है तुम्हारे पास ? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ही क्षेत्र का विधायक हूं, तो उन्होंने कहा कि हम विधायक, इधायक को नहीं जानते, अगर डी0 एम0 की परमिशन होगी तो दूध बंटेगा।

मैंने जब उनके यह तेवर देखे तो मैंने उस कांस्टेबिल का नम्बर और नाम पूछा। इस पर उसने कहा कि जाओ और थाने में जाकर रवानगी देख लो। मैं वापस आया। वहीं पर मेरी दुकान, डिस्पेन्सरी है जहां कि मैं 23 वर्षों से प्रेक्टिस करता चला आ रहा हूं। वहीं पर मकान मालिक, और श्री श्यामनन्द जी का घर है, मैंने उनको सारी बातों की सूचना दी ताकि टेलीफोन करके इसकी सूचना थाने में दे सकूं। फिर मैं गली में जाकर कागज पर सारी घटना लिखवाने लगा। उसी समय एक सब इन्सपेक्टर 15-20 पी0 ए0 सी0 के सिपाहियों के साथ वहां आये। बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने जो लोग वहां दूध लेने के इन्तजार में खड़े थे, सभी पर लाठी चार्ज कर दिया। जब मैंने सब इन्सपेक्टर से कहा कि यह लोग दूध लेने के लिये खड़े हैं क्यों बेकार में इन पर लाठी चलवा रहे हो तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो ? मैंने कहा कि मैं यहां का विधायक हूं। तो उसने कहा कि मारो साले को, और लाठी चार्ज होने लगा। मैंने जनता से कहा कि तुम लोग शान्ति रखो तो वे सब मुझको घसीटते हुए, डंडा मारते हुए मुझे चौक थाने ले आये। ज्ञानवापी होते हुए चौक थाने का रास्ता डेढ़ फर्लांग का है। वहां पर थाने में डी0 वाई0 एस0 पी0 ने मुझे बैठाया उनके सामने भी सब इन्स्पेक्टर मुझे अपशब्द कह रहा था तो मैजिस्ट्रेट ने डांटा।

मैंने समझा कि सम्भवतः विधायक होने की अपेक्षा डाक्टर होना ही उचित था क्योंकि

जहां पर मैं 23 वर्षों तक चिकित्सक के रूप में चिकित्सा करता रहा था और किसी ने उंगली भी नहीं उठायी थी, वहीं पर मेरा विधायक बनना एक अभिशाप बन गया।

मान्यवर, मेरा मन भरा हुआ है, आंखों में आंसू बार-बार आ रहे हैं, मुझे मानसिक कष्ट हुआ है। मैंने सांसद श्याम लाल को कहलाया, वे आये। उसके बाद डी0 एम0 और एस0 पी0 आये। मैं सदन के सामने यह जितने भी अखबार छपे हैं, इसे एक्जीबिट के रूप में रख रहा हूं और यह सदन की सम्पत्ति है।

(डा0 रजनीकान्त दत्त द्वारा अखबार श्री अध्यक्ष के पास प्रेषित किया गया।)

मैंने सोचा कि यह काण्ड इस शहर के लिए कलंक है, इससे साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलेगा, यह उचित नहीं है। अपनी पिपासा को शान्त करने के लिए यह दरिन्दे इसका फायदा उठायेंगे और शहर को नरक बना देंगे। मैं श्यामलाल जी के साथ पं0 कमलापति त्रिपाठी के घर गया, पता चला कि वे सो रहे हैं। माननीय लोकपति त्रिपाठी जी वहीं थे, मैंने लोकपति त्रिपाठी को सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि हम डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 को फोन कर देंगे। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलें, तो उन्होंने कहा कि यह कोई खास बात नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं।

(शेम-शेम की आवाजें)

उसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी को ट्रंककाल किया जिसको उनके पी0 ए0 ने रिसीव किया। उसके बाद मैंने तार किया। तार नम्बर 2912 द्वारा मैंने मुख्य मंत्री, अध्यक्ष विधान सभा को तार भेजा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को तार दिया, प्रधान मंत्री जी को तार दिया इस घटना के सम्बन्ध में। इन तारों में मेरा 233 से 190 रु0 तक खर्चा हुआ लेकिन मैंने यह खर्चा इसलिये किया ताकि घटना का ब्योरेवार विवरण आपको भी दिया जा सके।

मान्यवर, मैं यहां पर कुछ चीजें रखना चाहूंगा, 14 तारीख को काला दिवस मनाया जाने वाला था, 14 तारीख को ज्ञानवापी की शाही मस्जिद जहां पर बनारस शहर के कोने-कोने से नमाज पढ़ने के लिये मुसलमान आते हैं और नमाज 1 बजे समाप्त होती है। उसी दिन बसंत पंचमी का दूसरा दिन था और सरस्वती मूर्ति का विसर्जन होना था। मान्यवर, जब भी कोई साम्प्रदायिक दंगा होता है तो वह ज्ञानवापी से चौक एरिया, ज्ञानवापी से लेकर गुदौलिया या मदनपुरा पान्डे हवेली से खारी कुंआ के रास्ते में होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पान्डे हवेली से गुदौलिया के बीच केवल 7-8 सिपाहियों की पोस्टिंग की गयी।

1977 में दुर्गा जी की प्रतिमा के खंडित होने के कारण कतुआपुर जहां पर प्रशासन की गलती से हमारे शहर में साम्प्रदायिक दंगा होते होते बचा। मान्यवर, उस जगह पर प्रशासन द्वारा इन्तजाम न करने के कारण, नेग्लीजेंस और डेलीवरेट नेग्लीजेंस के कारण एक बजे चौक थाने के सामने एक जूते की दुकान वाले जिनका नाम अब्दुल अहद है उनकी दुकान लूट ली गयी। एक बजे यह घटना होती है और दो बजे के करीब सरस्वती की मूर्ति आ रही थी और एक लड़का और उसका साथी यजदी मोटर साइकिल पर बैठकर आ रहा था, उसकी मोटर साइकिल जला दी गयी, वहां पर उत्तेजना व्याप्त थी और डी0 एम0 और एस0 पी0 का पता नहीं था। दुर्गा जी की मूर्ति आ रही थी, उस पर हमला हुआ, काशी नाम का रिक्शा चालक उस ट्राली को चला रहा था और सुरेन्द्र कुमार नाम का व्यक्ति उस मूर्ति को पकड़ कर ट्राली पर बैठा हुआ था, जिस समय हमला हो रहा था, तो पुलिस ने गोली चलायी और आर0 बी0 सिंह नामक पुलिस इन्सपेक्टर ने अपने रिवाल्वर से फायरिंग की। मूर्ति टूट गयी और यह लड़का पुलिस की गोली से घायल हो गया, उस ट्राली का पता नहीं, उस मूर्ति का पता नहीं और उस लड़के का पता नहीं और बताया जा रहा है कि दंगे के दरम्यान इस लड़के को अल्प संख्यकों ने मार कर गायब कर दिया है।

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। यह वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 का सरासर मैनी-

पुलेशन है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, 17 तारीख की ओर। मान्यवर, 14 बीती, 15 बीती और 16 बीती और 17 तारीख को शार-बार पूंछने के बाद भी प्रशासन ने उस लड़के के बारे में नहीं बताया तो बच्चे और औरतों ने अपने सामाजिक कार्य-कर्ता के साथ भेलुपुर थाने में जमाव किया। डी0 एम0 ने कहा कि कत्ल करने वालों को डी0 आई0 आर0 में बन्द कर दिया जायेगा, उसके परिवार वालों को मुआवजा दिया जायेगा। लेकिन लोगों ने उनसे पूछा कि आप बतायें कि लड़के का क्या हुआ लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। मैं तुरन्त कन्ट्रोल रुम गया और कहा कि डी0 एम0 साहेब आपने इम्प्रेशन दे दिया है कि लड़का मर गया है और आपकी इन बातों के कारण उत्तेजना व्याप्त हो गयी है। आपने जो रिवर्स काउन्ट कर दिया है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और जब जीरो तक पहुंच जायेंगे तो पूरा शहर साम्प्रदायिक दंगे की लपेट में चला जायेगा। वही हुआ, जो नहीं होना था।

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो पुलिस का रवैया चल रहा है उस रवैये से जब आपके विधायक भूख से बिलखते हुए बच्चों को दूध नहीं बटवा सकते, जब आपके विधायक लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचा सकते तो श्रीमन, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि विधायक के रूप में दिखावा करें या अपने मान, सम्मान को बचाने के लिए इस्तीफा दे दूं।

(माननीय सदस्य रोने लगे)

मान्यवर, वह विधवा औरत जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके पति मर चुके हैं उसको 3 लाख की राहत सरकार दे, ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। जिनकी दुकानें लूटी गयी हैं जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दें। मान्यवर, इन शब्दों के साथ, मैं आपको अपने को प्रस्तुत करता हूं, बाकी आप बुद्धिमान हैं, यह सदन समझ हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य वाराणसी दत्ता जी ने जो बयान दिया है, बड़ी ही अफसोस जनक बात है। जैसा आपने देखा उनको कितना हार्दिक क्लेश है। मैं चाहता हूं कि एक तो पूरे प्रकरण के लिए श्याम सूरत उपाध्याय जी को बुला लीजिए, जो कल गये थे। मैं चाहता हूं कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करा दें जैसा कि उन्होंने विवरण दिया है, यह इस बात का सबूत है कि आज विधायक की कोई स्थिति रह नहीं गयी है। ये एक सामाजिक कार्य कर रहे थे कोई अपने घर का कार्य नहीं कर रहे थे। यह रोज ऐसा माननीय सदस्यों के साथ होता जा रहा है जो अब बर्दाश्त के बाहर है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में आप सदन में चर्चा करा दें और चर्चा कराने के बाद इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जिलाधिकारी के खिलाफ पुलिस कप्तान के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप यह निर्देशित करें कि आयन्दा अगर कुछ ऐसा विधायक के साथ होगा तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर, एस0 पी0 की होगी। यह जो बात इन्होंने कही है यह कितने अफसोस की बात है। विधायक होने की वजह से उनके साथ यह दुर्व्यवहार किया गया है। खैर यह तो सत्तापक्ष के हैं यही व्यवहार पुलिस का सबके साथ किया जा रहा है इसे ज्यादा नहीं चलने दिया जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस बिन्दु पर चर्चा कराकर अपनी ओर से, मैं सरकार से अपेक्षा नहीं करता हूं, आप अपनी ओर से सदन की गरिमा बचाने के लिए कार्यवाही करें।

* श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग भी बनारस गये थे,, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, राम नरेश जी और मैनेजर सिंह भी गये थे, डा0 दत्ता ने जो बयान यहां पर दिया है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम लोग भी कुछ देखकर आये हैं। श्री श्याम सूरत उपाध्याय भी यहां आ जांय नहीं तो मान्यवर, अगर हम कुछ कहेंगे तो वह मर्यादा का उल्लंघन भी हो सकता है। इसलिये सरकार के मंत्री को भी आप बुला लें। यही चीज मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

14 तारीख को भी कहना चाहता था। जिसका परिणाम यह हुआ कि डाक्टर दत्ता के ऊपर हमला हो गया। इसलिये मैं चाहूंगा कि बुला लें। सारी बातें आ जांय और सरकार की सरकार के जो मंत्री वहां भेजे गये थे उनको भी नजर में वह सारी बातें आ जांय कि क्या सच हैं और क्या झूठ हैं? तथा हम लोग भी अपनी बात बयान कर सकें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, दत्ता साहब ने वाराणसी के संबंध में जो विवरण और उनके प्रति हुये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जो बात सदन के समक्ष रखी है वह हार्दिक वेदना की बात है और उससे पूरी सरकार के ऊपर यह प्रश्न-चिह्न लग जाता है जो उन्हीं के पक्ष के विधायक ने यहां पर प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जो दत्ता साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वह सिर्फ विशेषाधिकार का ही मामला नहीं है, वह तो है ही लेकिन जैसा उन्होंने बताया, विधायक होने की हैसियत से भी उनका अपमान हुआ है और एक विधायक की हैसियत को जब चुनौती दी जाती है या एक विधायक होने के नाते जो अपमान किया जाता है तो वह पूरे सदन का अपमान है। दुख इस बात का भी है कि इस वक्त मुख्य मंत्री जी लखनऊ में मौजूद हैं लेकिन सदन में इतनी महत्वपूर्ण बात पर जब चर्चा हो रही है, एक विधायक के प्रति किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, वहां घटित अन्यायपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया जा रहा है जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश एक ज्वलन्त समस्या में उलझ गया है और अन्य शहरों में भी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है और मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

मान्यवर, मैंने यह बात उस दिन भी कही थी कि माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेता गण आपस में इस सम्बन्ध में बात करेंगे और वह हुई भी। लेकिन अब जो बातें आयी हैं, मैं समझता हूं कि सरकार का उन पर चुप रहना बहुत शर्म की बात है। मैं इसे केवल विशेषाधिकार का ही मामला नहीं मानता हूं बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय से सम्बन्धित जितने अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे सारे के सारे इस प्रकरण में दोषी हैं। आप कृपया सख्त रुख अपनायें, सरकार को निर्देशित करें कि वह ठीक ढंग से और व्यवस्था के साथ शासन चलायें।

(श्री राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, किस तरह से सदन को संचालित करें, यह आपके ऊपर है। आपने इस विषय पर सभी नेताओं को सुना। एक दल के नेता की हैसियत से मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को समझता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं सदैव इस विचार का रहा हूं कि सदन में अपने सम्बन्ध में या अपने कर्तव्य पालन के सम्बन्ध में कोई भी माननीय सदस्य जो कुछ कहता है उसे सच ही माना जाय। उसके बारे में किसी अन्य गवाही की या किसी जांच की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हम राजनीतिक पार्टियों से सम्बद्ध हैं। उसका दायरा अलग होता है। उसके बारे में भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं। कल भी यह प्रकरण उठा था। आज डाक्टर दत्ता हमारे बीच में हैं। उन्होंने अपनी बीती बात कही। कल आपने कुछ माननीय सदस्यों को और माननीय उपाध्याय जी को बनारस भेजा था। कल हमारे बीच में डाक्टर दत्ता नहीं थे, आज हैं। उन्होंने अपने बारे में, पुलिस प्रशासन ने जो कुछ किया, वह सदन के संज्ञान में ला दिया।

मैं उनकी बात को सही मानते हुये सरकार से और शासन से इस बात को जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है? मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया बाद में आयेगी कि हम इस विषय पर बहस करें। प्रशासन ने क्या कार्यवाही की, यह सरकार बता दे? यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। जो बात डाक्टर दत्ता ने कही है, उसे मैं समझता हूं कि सही माना जाय और स्पष्ट करे कि उन्होंने अब तक उन अधिका-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जिनके बारे में सदन में बात आ गई है ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी वाराणसी के माननीय सदस्य बारे में भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं। कल दत्ता जी ने जो दर्दनाक दृश्य उपस्थित किया उनकी करुणा से मैं अपने को संबद्ध करता हूं। इससे बुरा उदाहरण शांति व्यवस्था की गिरावट का दूसरा न मैंने सुना और न मैं उस पर विचार कर सकता हूं। माननीय दत्ता की बात में एक महत्व पूर्ण बात आई कि पुलिस अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इतने नीचे गिर सकती है और वह सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने के लिए तैयार हो गयी। मैं उनकी सब बातों से सहमत हूं लेकिन एक बात से असहमत हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मान्यवर, दत्ता जी के सामने कुछ परिस्थितियां पैदा हो गयी जिनसे व्याकुल हो कर वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जिनकी प्रशासनिक शिथिलता के कारण वे स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आ रही है तो इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस बात पर बल देता हूं।

इसके बाद जो बातें माननीय राजेन्द्र सिंह जी ने और अन्य माननीय नेताओं ने कही हैं मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। मैं समझता हूं कि इससे दूसरी महत्व पूर्ण चर्चा कोई हो नहीं सकती अतः आज की बाकी सारी कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। और माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां बुलाया जाय और उनके द्वारा हमें वह जानकारी चाहिये कि बनारस में इस जघन्य घटना होने के बाद उन्होंने प्रशासनिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की, हम उस बात को जानना चाहते हैं। अगर उसमें शिथिलता हो रही है और वह नहीं आ रहे हैं तो मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि वे परिस्थितियों से आखें बन्द कर जानबूझ कर अपने कार्यों से प्रदेश में एक ज्वालामुखी उत्पन्न करना चाहते हैं। ज्वालामुखी हरी-हरी घास में होती है जिसके फटते ही विनाश हो जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इस अदूरदर्शिता का, प्रशासनिक शिथिलता का परिणाम होगा कि प्रदेश में ज्वालामुखी फूटेगी और उसमें हम सब भस्म हो जायेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि तत्काल माननीय मुख्य मंत्री जी को आप बुलायें और उनसे हम इन सब बातों का जवाब चाहते हैं। मैं इस पर बल देता हूं।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदन में कल आपने एक निर्देश दिया था और माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी के साथ कुछ लोगों को बनारस जाकर स्थिति का अध्ययन कर आज सदन को अवगत कराने का निर्देश दिया था। माननीय दत्ता जी ने अपनी बात कही तो उस पर शासन का भी पक्ष आना चाहिए। शासन के प्रतिनिधि के रूप में माननीय उपाध्याय जी वहां गये थे। आज वह स्थिति से बच सकें और सरकार को उस सारे मामले में लीपापोती करने का मौका मिल सके इस लिए जानबूझ कर नहीं आ रहे हैं। आपके निर्देशों की अवहेलना कर, यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

इसलिए माननीय मुख्य मंत्री को या संसदीय कार्य राज्य मंत्री को सरकार का दृष्टिकोण रखने के पहले जो आपने कल निर्देश दिया था उसका पालन कराइये। माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी ने माननीय दत्ता जी के अलावा और लोगों से बात की होगी। कल कांग्रेस सांसद का भी नाम आया था तो शायद उन्होंने भी कुछ बताया होगा। इसलिए माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी को यहां आना चाहिये। आज की सारी कार्यवाही स्थगित कराकर इस पर चर्चा करायें।

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कल जो आपने निर्देश दिया था आज सरकार की ओर से जानबूझ कर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इस तरह से आपकी पीठ के निर्देशों की अवहेलना होती रहेगी तो सदन की गरिमा कैसे रहेगी और कैसे हमारी सुरक्षा होगी। इन सब प्रश्नों पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और उस उत्तर में ही यह स्पष्ट हो जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय दत्ता साहब ने जो अपनी बीती सदन के सम्मुख रखी इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है। वे अपने दुख को, अपने क्लेश को नहीं बता सके और सदन के अंदर फूट-फूट कर रोने लगे। मान्यवर, आपने देखा होगा कि जब वह बोल रहे थे तो उनका गला भरा था। इस सवाल को लेकर, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्यों के अपमान के संबंध में, रोजाना हम लोगों ने मांग की है कि पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की जाये लेकिन सरकार ने हमेशा पुलिस को बचाने का कार्य किया है। दत्ता साहब क्या अपराध कर रहे थे, भूखे बच्चों को दूध देने का काम कर रहे थे तो यह कौन सा अपराध था ? आज भूखे बच्चों को दूध देने का काम अपराध बन गया है और वह भी विधायक के लिये। तो सरकार को शर्म लगे या न लगे किन्तु हम लोगों का पुलिस की नजरों और प्रशासन की नजरों में कोई सम्मान नहीं रह गया है। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और एक मिनट भी यहां नही रहना चाहिए।

मान्यवर, मेरी बात को यदि यह मानते तो यह बात न होती। आज प्रजातंत्र का जितना इस प्रदेश में जिस तरह मखौल उड़ाया जा रहा है उतना हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में और न दुनिया में कहीं उड़ाया जा रहा है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार बिल्कुल पुलिस की दलाल है वरना मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश की क्या जरूरत पड़ गयी ?

मान्यवर, आज दत्ता साहब की बात पर विश्वास नही किया जायेगा तो फिर किस का विश्वास किया जायेगा ? इसलिये यह भी शर्म की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये थे, वहां से आ गये हैं कि नहीं ? यदि आ गये हैं और सदन में हाजिर नहीं हैं तो यह अच्छी बात नही है और श्री श्याम सूरत उपाध्याय को यहां बुला लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बराबर चर्चा की मांग की और चर्चा होनी चाहिए और पुलिस, पी0 ए0 सी0 और प्रशासन को इस मामले पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो प्रदेश की आज हालत है उसमें यदि यह हमारी बात मान ली होती तो दत्ता साहब की पिटाई नहीं होती। अब क्या बात छिपी रह गयी ? मैंने शुरु में कहा था और कहना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश की जो प्रमुख समस्यायें जैसे बेकारी, भ्रष्टाचार और जो गरीबी की समस्या है, इन सारी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाकर आज उत्तर प्रदेश में दत्ता साहब की बात से साबित हो गयी कि, यह सरकार हिन्दू और मुस्लमानों को आपस में लड़ाना चाहती है। दत्ता साहब कहते हैं कि पुलिस ने उस लड़के को मारा है और छिपाने के लिये अल्पसंख्यकों पर आरोप लगा रहे हैं। इसमें देर हुई है, इसलिए चर्चा तो पहले ही होनी चाहिये थी। सड़क-सड़क पर चर्चा है, अखबारों में चर्चा है और जनता में चर्चा है लेकिन छिपाने की फिर क्यों कोशिश हो रही है।

मान्यवर, यह तो केवल बनारस की एक मोहल्ले की घटना को बताया गया है, पता नहीं प्रदेश में कितनी घटनायें हो रही हैं। हमारे कई विधायकों ने बताया है कि मवाना में हिन्दू और मुस्लमान दोनों खड़े हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन पुलिस लाठी चार्ज करके 22-23 आदमियों को जेल भेज देती है जिसके विरोध में आज पूरा मवाना बन्द है, कचेहरी बंद है। इसलिए मान्यवर, अभी गृह मंत्री, मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री से वहां के दरोगा ही नहीं बल्कि डी0 एम0 और एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा सदन में अभी की जाये।

जो भी हो अभी और इसके लिए किसी की गवाही या सबूत की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को छिपाने की कोशिश की गई तो प्रदेश की हालत और खराब हो जायेगी। इनका तो एक उद्देश्य है, वह यह है कि आपस में लड़ाकर बांटो और उत्तर प्रदेश में राज्य करो और देश में राज्य करो।

मान्यवर, इसको आप गम्भीरता से लेकर इसको मन्जूर कीजिए, सरकार को मजबूर कीजिए। जिन्होंने दत्ता साहब के खिलाफ यह

कुकर्म किया है, उनकी पिटाई की है और शायद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और उनको दण्ड देने की घोषणा अभी सरकार करे।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें, आपके नेता बोल चुके हैं। मेहरबानी करके बैठें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं केवल एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष—

आपकी मेहरबानी होगी, आप बैठ जायं, मैं खड़ा हो गया हूं। सदन की भावना और दुखद घटना को देखते हुए मैं इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अभी चर्चा शुरू कीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप नेतागण . . .

श्री विजय सिंह राणा—

यह सदन तब तक नहीं चलेगा, जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिस से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

मैं 20 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित कर दी गई। 1 बज कर 18 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। पुनः 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 2 बज कर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 3 बज कर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। 4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, सब लोग होली के मूड में लग रहे हैं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन एडजोर्न होने के पहले माननीय दत्ता जी ने सदन में कहा था कि "मेरी जो पिटाई हुई है और अमानुषिक अत्याचार हुआ है, इस संबंध में मैंने एक टेलीग्राम स्पीकर साहब को और मा0 मुख्य मंत्री जी को दिया था।" मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस टेलीग्राम को यहां पर पढ़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

उस प्रकरण में तो अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है, वह तो बाद में आपकी सहमति से होगा, लेकिन आज सदन की कार्यवाही आगे चलाने की बात है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि अभी तक जो कार्यवाही चल रही थी, वह वहीं पर है। इस सम्बन्ध में अभी हम सब नेताओं को भी बुलाया गया था और अभी तक वही प्रकरण जारी है। मान्यवर, आपके पास टेलीग्राम नहीं है, मेरे पास उसकी नकल है, मैं उसे पढ़ रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
20 फरवरी, 1986

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।

क्रम-संख्या	नाम मण्डी समिति	आय		व्यय		निर्मित सड़कों की लंबाई (कि0मी0 में)
		वर्ष 83-84	वर्ष 84-85	वर्ष 83-84	वर्ष 84-85	
1	2	3	4	5	6	7
1	बलिया ..	18,47,287-34	12,61,026-11	20,22,179-78	28,96,726-14	10,90
2	चितबड़ागांव ..	3,87,401-78	3,21,046-70	4,71,260-18	5,13,168-62	06,00
3	रसड़ा	2,38,281-44	2,15,970-67	72,338-87	82,252-07	9.8
4	बिल्थरा रोड ..	2,05,769-96	1,90,614-45	2,05,769-96	1,90,614-45	12.80

नत्थी 'ख'

(देखिए अता 0 प्र 0 सं 0 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

जिला उद्योग केन्द्र, बाराबंकी द्वारा वर्ष 1983–84 एवं 1984–85 में वितरित किये गये मार्जिन मनी ऋण का विवरण:

क्रमांक	इकाई का नाम व पता	उद्योग का नाम	वितरित धन (लाख रु 0 में)	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि
1	2	3	4	5
वर्ष 1983–84				
1	सर्वश्री वर्मा राइस मिल प्यारेपुर सरैया, बाराबंकी।	चावल उद्योग	0.300	20–12–83
2	ग्रामीण विकास उद्योग हरख, बाराबंकी।	चावल उद्योग	0.136	20–11–83
3	टिकैतनगर इन्डस्ट्रीज, टिकैतनगर, बाराबंकी।	तेल उद्योग	0.134	वर्ष 1981 में कार्यारम्भ किया था, अब बन्द है।
4	सर्वश्री यशोदा लाइम इन्डस्ट्रीज, सुरसंडा, सहाबपुर, बाराबंकी।	चूना उद्योग	0.240	15–10–84
वर्ष 1984–85				
1	सर्वश्री माबूद हैन्डलूम्स पीरवटावन, बाराबंकी।	हैन्डलूम्स	0.40	12/84
2	सर्वश्री गोविन्द स्टील्स दशहराबाग, बाराबंकी।	स्टील्स	0.31	7/85
3	सर्वश्री गंगा एसफाल्ड एलाइड इण्ड0 देवारोड बाराबंकी।	विटुमिन आलग्रेड पेन्ट्स	0.38	25–9–84
4	आदर्श चावल मिल, नानमऊ, बाराबंकी।	चावल मिल	0.43.5	—
5	मेसर्स धनलक्ष्मी इण्ड0 फतेहपुर, बाराबंकी	राइस	0.70	22–1–85
6	मे0 रत्ती आईस इण्ड0 रुदौली, बाराबंकी।	आईस	0.39	1985

पी0 एस0 यू0 पी0—9 विधान सभा—16–5–86—(4,00)—1986—813 (मैग0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा